सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
I	प्रस्तावना	2–3
II	रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग का परिदृश्य	4–13
III	योजनागत स्कीमें	14–16
IV	पीसीपीआईआर	17–23
V	पेट्रोरासायन की नई योजनाएं	24–25
VII	अन्तर्राष्ट्रीय समझौतें एवं संधियां	26–29
VIII	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	30–34
IX	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	35–40
X	स्वायत्तशासी संस्थान	41–50
XI	संवर्धनात्माक गतिविधियां एवं प्रमुख कार्यक्रम	51–53
XI	सामान्य प्रशासन	54–57

अनुबंध

I	उत्पादवार संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख रसायनों का उत्पादन	58–60
II	उत्पादवाद संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन	61–64
III	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज 2013–14 : उपलब्धियां एवं कंपोजिट स्कोर	65–73
IV	संगठन चार्ट	74

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) का उद्देश्य है:

i. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के वृद्धि एवं विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना और
ii. उद्योग के उपर्युक्त वर्णित सेक्टरों के चतुर्दिक विकास के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी का वातावरण बनाना।

1.2 विभाग को निम्नांकित व्यापक विषय–वस्तुओं से संबंधित कार्य को निष्पादित कराना है–
i. कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के प्रशासन को छोड़कर कीटनाशकय
ii. मोलासिसय
iii. मोलासिस मार्ग से अल्कोहल–औद्योगिक और पेय
vi. डाईस्टफ और डाई मध्यवर्तीय
v. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को नहीं सौंपे गए हों
vi. विभाग द्वारा देखे जा रहे सभी उद्योगों का नियोजन, विकास, नियंत्रण और उनकी सहायता
vii. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी – उससे संबंधित विशेष कानून;
viii. पेट्रोरसायन;
ix. गैर–सेल्युलोज सिंथेटिक फाइबर, (नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रीलिक इत्यादि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग;
x. सिंथेटिक रबड़; और
xi. प्लास्टिक के फेब्रिकेशन सहित प्लास्टिक और मोल्डिड गुड्स।

1.3 विभाग के चार कार्यात्मक प्रभाग हैं – रसायन, पेट्रोरसायन, योजना एवं मूल्योंकन (पीएंडई) और सांख्यिपकी एवं मॉनीटरिंग (एसएंडएम)। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में तीनों विभागों का एक ही आंतरिक वित्त प्रभाग है। रसायन सेक्टर में तीन पीएसयूज, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. (एचआईएल) तथा हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्सट लि.(एचएफएल) हैं एचओसीएल की सहायक कंपनी और पेट्रोरसायन क्षेत्र में एक पीएसयू अर्थात ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि. हैं। इस विभाग के अधीन सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) नामक स्वायत्त संस्थान हैं।

1.4 श्री श्रीकांत कुमार जेना, मई, 2014 तक रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्यस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे। श्री अनन्त कुमार मई, 2014 से रसायन तथा उर्वरक मंत्री हैं। श्री इन्द्रजीत पाल 30 सितम्बर, 2014 को सचिव के पद से सेवानिवृत हुए। श्री सुरजीत कुमार चौधरी ने 01 अक्टूबर, 2014 को विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।

1.5 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) के माध्यम से अपने लक्ष्यों को चिन्हित व कार्य निष्पादन की लगातार निगरानी कर रहा है। वर्ष 2014–15 के लिए

आरएफडी विभाग के अंदर व मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रभाग द्वारा गठित तदर्थ टास्क फोर्स के साथ वृहत परिचर्चा के उपरांत अंतिम रूप दिया गया था। 2013–14 आरएफडी की उपलब्धियां तथा कम्पोजिट स्कोर अनुबंध – III में दिए गये हैं। वर्ष 2013–14 की आरएफडी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आरएफडी 2013–14 के द्वारा पूरा किए जाने वाले महत्वपूर्ण लक्ष्यों/कार्यवाही में राष्ट्रीय रसायन नीति, इंडिया केम गुजरात का आयोजन, पीसीपीआईआर का अनुमोदन व प्रसार, असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन, सिपेट के माध्यम से प्लास्टिक क्षेत्र का विकास, राष्ट्रीय पेट्रो–रसायन नीति का क्रियान्वयन, भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए समन्वय शामिल है, साथ ही, विभाग की सेवा को सुधारने, लेखा तंत्र के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे कतिपय अनिवार्य सूचक भी इसमें शामिल हैं।

1.6 विभाग के कार्य निष्पादन की सरकार के कार्य निष्पाकदन संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा समीक्षा की गई है और विभाग ने 81.30 समेकित अंक प्राप्त किए हैं।

***

अध्याय – 2

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का परिदृश्य

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग :

2.1 रसायन उद्योग एक अवबोधन गहन एवं पूंजी गहन उद्योग है। यह रसायन उद्योग, बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्नध अवयव है। इसमें मूल रसायन एवं इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट्स एवं वार्निश, गैस, साबुन, परफ्यूम एंव टॉयलेटरीज और औषध शामिल हैं। रसायन उद्योग के अन्दर विविधता अधिक है और इसमें अस्सी हजार से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। यह उद्योग मूलभूत आवश्यरकताओं को पूरा करने तथा जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक एवं कृषि विकास का मेरूदंड है तथा कई उद्योगों जैसे वस्त्र, कागज, पेंट, साबुन, डिटर्जेंट, औषधि, वार्निश आदि मूलभूत अंग प्रदान करता है।

2.2 राष्ट्रीय आद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2004 के अनुसार, रसायन एवं रसायनिक उत्पाद उद्योग खंड 24 के अंतर्गत शामिल हैं। इस खंड में उत्पासद समूहों का विवरण निम्नाानुसार है:–

तालिका I – उत्पाद समूह का विवरण

श्रेणी	विवरण
2411	उर्वरक एवं नाइट्रोजन कंपाउन्ड को छोड़कर मूल रसायनों का विनिर्माण
2412	उर्वरक व नाइट्रोजन कंपाउन्ड का विनिर्माण
2413	प्राथमिक रूप व सिंथेटिक रबड़ से प्लास्टिक का विनिर्माण
2421	कीटनाशक एवं अन्य कृषि रसायनों उत्पादों का विनिर्माण
2422	पेंट, वार्निश एवं समान कोटिंग्स, प्रिंटिंग स्याही एवं मास्टिक्स का विनिर्माण
2423	दवाइयों मेडिसनल रसायन एवं बायोटेनिकल उत्पादों का विनिर्माण
2424	साबुन एवं डिटर्जेंट, क्लीनिंग एवं पॉलिशिंग तैयारी, परफ्यूम एवं टायलेट प्रिपरेशन का विनिर्माण
2429	अन्य रसायनिक उत्पादों का विनिर्माण
2430	मानव निर्मित फाइबर का निर्माण (इस श्रेणी में कृत्रिम व सिंथेटिक फिलामेंट एवं गैर–फिलामेंट फाइबर का विनिर्माण)

2.3 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुमानों के अनुसार, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद (एनआईसी 2004 का उद्योग 24) वर्ष 2011–12 में 2.53% की तुलना मंन वर्ष 2012–13 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.51: (2004–05 के मूल्य पर) था। वर्ष 2004–05 के मूल्य पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी वर्ष 2011–12 के दौरान 15.55% की तुलना में 2012–13 के दौरान 15.95% था। औद्योगिक उत्पादिन (सीएसओ द्व ारा 12 जनवरी, 2015 को जारी किया गया) के सूचकांक के तत्काऔल अनुमानों के अनुसार रसायन और रसायन उत्पाादों में संचयी वृद्धि (एनआईसी 2014 का उद्योग खंड 24) 2013–14 की तदनुरूप अवधि की तुलना वर्ष अप्रैल–नवम्बर के दौरान (–) 1.8% रही है जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 1.1% रही है । सीएसओ के अनुमानों के अनुसार, भारतीय रसायन उद्योग का आकार उत्पादन के मूल्यन के संदर्भ में वर्ष 2012–13 में 7,82,949 करोड़ रूपए था।

2.4 चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन वर्ष 2010–11 से 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक) के दौरान तालिका – II में प्रस्तुत है। प्रमुख रसायन एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन वर्ष 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक) में 10328 हजार एमटी की तुलना में 2013–14 में इसी अवधि के दौरान 10402 हजार एमटी था जिससे वृद्धि दर (–) 0.7% रही।

तालिका II : चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार एमटी में)

समूह	उत्पादन/वृद्धि दर	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2013–14 (अप्रैल 13 से सितम्बर 13)	2014–15 (अप्रैल 14 से सितम्बर 14)
एल्कली केमिकल्स	उत्पादन	6271	6478	6487	6481	3207	3279
	वृद्धि दर (%)	7.6	3.3	0.1	–0.1		2.2
अकार्बनिक रसायन	उत्पादन	896	881	873	892	442	443
	वृद्धि दर (%)	9.6	–1.9	–0.9	2.2		0.4
कार्बनिक रसायन	उत्पादन	1550	1640	1686	1792	850	833
	वृद्धि दर (%)	7.1	5.8	2.8	6.3		–2.0
पेस्टी0 साइड्स	उत्पादन	143.0	155.2	154.6	178.4	89.4	91.2
	वृद्धि दर (%)	6.6	8.5	–0.4	15.4		2.0
रंजक एवं रंजक पदार्थ	उत्पादन	244.9	240.9	239.5	263.6	133.7	147.9
	वृद्धि दर (%)	11.3	–1.6	–0.6	18.4		10.6
कुल प्रमुख रसायन	उत्पादन	9107	9395	9440	9627	4722	4794
	वृद्धि दर (%)	7.6	3.2	0.5	2.0		1.5
सिंथेटिक फाइबर	उत्पादन	3106	3065	3080	3109	1587	1596
	वृद्धि दर (%)	9.6	–1.4	0.5	0.9		0.6
पोलिमर्स	उत्पादन	5292	6211	6424	6784	3395	3182
	वृद्धि दर (%)	10.5	17.4	3.4	5.6		–6.3
(सिंथेटिक रबर)	उत्पादन	105	100	96	105	48	77
	वृद्धि दर (%)	–0.7	–4.7	–4.2	8.7		59.7
सिंथेटिक डिर्टजेंट मध्यवर्ती	उत्पादन	638	623	627	597	264	311
	वृद्धि दर (%)	3.3	–2.4	0.7	–4.8		17.7
परफारमेंस प्लारस्टिलक	उत्पादन	934	867	894	773	386	368
	वृद्धि दर (%)	3.1	–7.2	3.1	–13.5		–4.8
कुल प्रमुख पेट्रोरसायन	उत्पादन	10077	10866	11121	11368	5661	5534
	वृद्धि दर (%)	8.9	7.8	2.3	2.2		–2.6
कुल प्रमुख रसायन एवं पेट्रोरसायन	उत्पादन	19184	20261	20561	20995	10402	10328
	वृद्धि दर	8.3	5.6	1.5	2.1	–	0.7

नोट : वृहत एवं मध्यम आकार के अंतर्गत विनिर्माताओं से मासिक उत्पादन रिटर्न पर आधारित उत्पादन समाहित है। प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों की स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पाद–वार और समूह–वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध – I एवं II में है।

रसायन क्षेत्र – उत्पादन रुझान

2.5 तीनों नए रसायन उत्पादों को उत्पाद कवरेज में शामिल किया गया है जिनको विभाग द्वारा मॉनीटर किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, केल्सिमयम कार्बोनेट (अकार्बनिक रसायनों के समूह में समाहित है) और अकार्बनिक रंजक (रंग और रंजक के समूह में समाहित है) नए उत्पाद हैं। इन नए उत्पादों का उत्पायदन डाटा केन्द्रीय एवं सांख्कीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर समेकित किया गया है। तालिका– II से यह देखा जा सकता है कि प्रमुख रसायनों के कुल उत्पादन का 67% से अधिक हिस्सा एल्केली रसायनों के उत्पुादन का है। प्रमुख रसायनों का उत्पादन वर्ष 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक) 4794 हजार एम.टी की तुलना में वर्ष 2013–14 में इसी अवधि के दौरान 4722 हजार एमटी था और इस क्षेत्र में 1.5% की वृद्धि हुई। चुनिन्दा प्रमुख रसायनों के उत्पादन का रुझान चार्ट–I में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट – I प्रमुख रसायनों के उत्पादन का रुझान

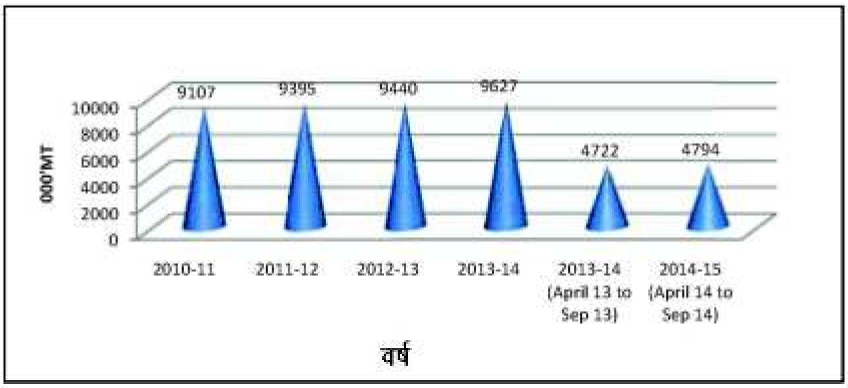

पेट्रोरसायन क्षेत्र – उत्पादन रुझान

2.6 पेट्रोरसायन जिसमें प्लापस्टि एवं अन्य रसायन शामिल हैं, पेट्रोरसायन को डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और यह कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। पेट्रोरसायन श्रृंखला में मूल्य संवर्द्धन संभावना के नए द्वार खोलता है और जरूरत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे वस्त्र एवं परिधान, कृषि, पैकिंग, अवसंरचना, स्वास्थ्य देखरेख, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार, सिंचाई, पेय जल, निर्माण एवं अन्यस उपयोगी क्षेत्रों में तथा विशेष उपयोग के उभरते क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है।

2.7 देश में चार नाफ्था आधारित और तीन गैस आधारित क्रैकर कॉम्पलेक्स है, और इनकी समग्र इथाइलिन वार्षिक क्षमता 3.78 मिलियन मीट्रिक टन है। इसके अतिरिक्त, 3.5 मिलियन एमटी की समग्र जाइलिन क्षमता के साथ पांच एरोमेटिक परिसर हैं।

2.8 तीन नए पेट्रोरसायन उत्पादों को उत्पादों के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है जिनकी निगरानी विभाग द्वारा की जाती है। पालीस्टकर चिप्स या पेट चिप्स पोलीट्रेटाफिलुओरोथिलीन निष्पादन प्लास्टिकस तथा पॉलियोल (अन्य पेट्रो आधारित रसायन समूह के अंतर्गत समाहित हैं) नए उत्पाद हैं। इन उत्पादों के उत्पारदन का डाटा सीएसओ द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एकत्रित किया गया है। तालिका–II से यह देखा जा सकता है कि पॉलीमर का उत्पादन प्रमुख पेट्रो–रसायन के कुल उत्पादन का 60% से अधिक है। वर्ष 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक)

प्रमुख पेट्रो–रसायन का उत्पादन 5534 हजार एमटी था जबकि वर्ष 2013–14 में इसी अवधि के दौरान 5681 हजार एमटी है जोकि (–)2.6% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रमुख पेट्रो–रसायनों के उत्पादन के :झान को चार्ट–II में दर्शाया गया है–

चार्ट–II प्रमुख पेट्रोरसायनों के उत्पादन का रुझान

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

2.9 रसायन एवं रसायन उत्पादों का भार (एनआईसी 2004 का औद्योगिक खंड 24) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक 1000 में 100.59 है (आधार वर्ष 2004–05)। सामान्य सूचकांक सितम्बर, 2014 के माह में 172.2 है जोकि सितम्बर, 2013 के माह के स्तार की तुलना में 2.8% अधिक है। अप्रैल से सितम्बर, 2014–15 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि, गत वर्ष के संगत अवधि की तुलना में 3.0% है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विनिर्माण क्षेत्र में सितम्बोर, 2014 माह के लिए औद्योगिक उत्पादिन सूचकांक 182.3 है जो कि सितम्बर, 2013 माह के स्तर की तुलना में 2.9 अधिक है जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रसायन एवं रसायन उत्पादों के लिए सितम्बर, 2014 माह की तुलना में 134.5 है जोकि सितम्ब्र, 2013 माह के स्तिर की तुलना में 4.6 कम है। रसायन एवं रसयनिक उत्पादों की (–) 0.6% वृद्धि तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में अप्रैल से सितम्बनर, 2014–15 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि, वर्ष 2013–14 की संगत अवधि में 2.2: थी । 2013–14 एवं 2014–15(14 नवम्बार, 2014 तक) के दौरान आद्योगिक उत्पादन सूचकांक का माहवार ब्यौरा तालिका–III में दिया गया है।

तालिका – III औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार– 2004–05 = 100)

अवधि	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	विनिर्माण	सामान्य
भार	100.59	755.27	1000
अप्रैल–13	134.1	176.1	166.5
मई–13	134.8	173.3	166.0
जून –13	136.8	175.0	164.9
जुलाई –13	137.8	182.7	171.4
अगस्त –13	145.1	175.4	165.4
सितम्बयर –13	141.0	177.1	167.5
अक्टूबबर –13	139.0	180.1	169.6
नवम्बबर –13	140.9	171.8	163.6
दिसम्बयर –13	148.2	189.0	179.5
जनवरी –14	143.7	194.1	184.0
फरवरी –14	128.1	183.3	172.7
मार्च –14	134.2	204.7	193.3
अप्रैल–14	127.9	181.4	172.7
मई–14	140.0	183.5	175.3
जून –14	140.7	180.1	172.0
जुलाई –14	145.7	182.2	173.0
अगस्तल –14	136.2	173.4	166.2
सितम्बयर –14	134.5	182.3	172.2
अक्टूबबर –14	125.3	166.7	162.5
नवम्बबर –14	136.9	177.0	169.8

स्रोतः सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वदयन मंत्रालय

2.10 2007–08 से 2013–14 तक सामान्य आईआईपी एवं विनिर्माण के संबंध में आईआईपी की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के आईआईपी का बर्ताव तालिका (IV) और चार्ट III में दर्शाया गया है।

तालिका – IV : औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

(आधार : 2004–05 = 100)

विवरण	भार	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
रसायन और रासायनिक उत्पाद	100.59	118.4	115.0	120.7	123.1	122.7	127.3	138.6
विनिर्माण उत्पाद	755.27	150.1	153.8	161.3	175.7	181.0	183.3	181.9
सामान्य	1000.00	141.7	145.2	152.9	165.5	170.3	172.2	172.0

चार्ट– III औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक औसत सूचकांक

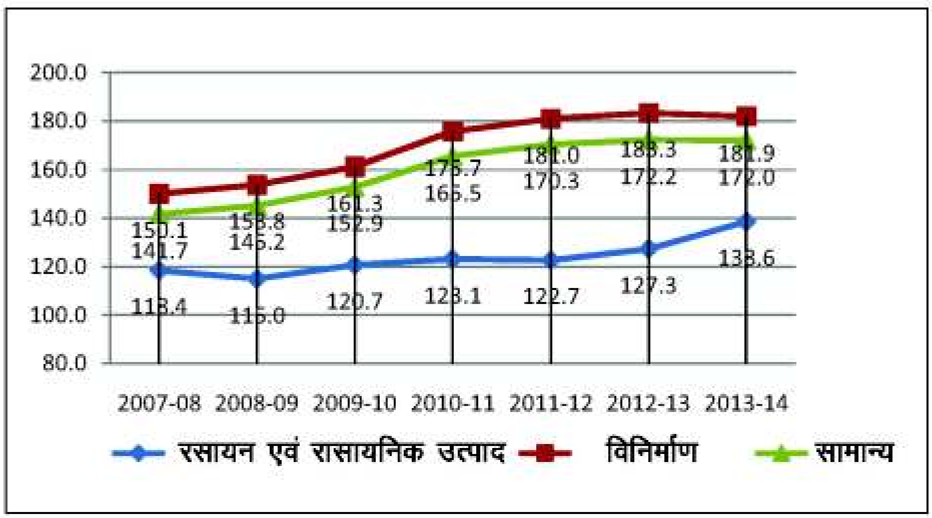

स्रोत : सांख्यकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 15–01–2015 की स्थिमति के अनुसार डाटा http//mospi.nic.in/Mospi_New/upload/iip/IIP_ timeseries_2004_05.htm. 15.01.2015 तक

डब्ल्यूपीआई

2.11 'सभी उत्पादों' के लिए आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी मासिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05) के आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति का दर नवम्बर, 2013 की तुलना में नवम्बहर, 2014 में 0.00% थी। इसी अवधि के दौरान, ''खाद्य पदार्थों'' के समूह के लिए सूचकांक में 0.63% ''विर्निमित उत्पाद'' के लिए 2.04: और ''रसायन एवं रासायनिक उत्पाद'' समूह के लिए 2.68% की वृद्धि दर्ज की गई है। रसायन एवं रसायानिक उत्पादों का भार डब्ल्यूपीआई में सभी उत्पादों के 100 भार की तुलना में 12.02 है। अप्रैल, 2013 से नवम्बर, 2014 तक के दौरान डब्ल्यूपीआई का माहवार सूचकांक तालिका V में दिया गया है।

तालिका – V थोक बिक्री मूल्य सूचकांक

(आधार– 2004–05 = 100)

माह	सभी पण्य वस्तुएं	खाद्य पदार्थ	विनिर्माण उत्पाद	रसायन और रासायनिक उत्पाद
अप्रैल–13	171.30	219.60	149.10	146.20
मई–13	171.40	223.10	149.30	145.90
जून –13	173.20	230.90	149.50	146.20
जुलाई –13	175.50	238.50	149.90	147.40
अगस्त –13	179.00	252.40	150.60	148.10
सितम्बर –13	180.70	252.90	151.50	149.00
अक्टूबर –13	180.70	251.70	152.10	149.10
नवम्बर –13	181.50	255.90	152.30	149.20
दिसम्बर –13	179.60	240.20	152.50	149.90
जनवरी –14	179.10	233.70	152.90	150.80
फरवरी –14	178.90	232.50	153.60	151.80
मार्च –14	179.80	234.60	154.20	152.60
अप्रैल–14	180.80	239.00	154.60	153.20
मई–14	182.00	244.60	155.10	153.10
जून –14	183.00	250.10	155.40	153.30
जुलाई –14	185.00	258.70	156.00	154.00
अगस्त –14	185.90	265.30	156.10	154.10
सितम्बर –14	185.00	262.20	156.00	153.60
अक्टूबर –14	183.90	258.50	155.80	153.70
नवम्बर –14	181.50	257.50	155.40	153.20

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डाटा 16 दिसम्बर, 2014 को http/www e& industry Nic in पद से प्राप्त किया गया।

2.12 नीचे दी गई तालिका–VI और चार्ट–VI वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक के दौरान, सभी वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और विर्निमित उत्पादों की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाते हैं ।

तालिका –VI : थोक बिक्री मूल्यों का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

विवरण	भार	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
सभी उत्पाद	100.00	126.02	130.81	143.32	156.13	167.62	177.64
खाद्य पदार्थ	14.34	134.8	155.39	179.63	192.74	211.82	238.85
विनिर्मित उत्पाद	64.97	120.38	123.05	130.07	139.51	147.06	151.46
रसायन और रसायन उत्पाद	12.02	118.07	117.76	124.04	134.72	143.64	148.85

(आधार– 2004–05 = 100)

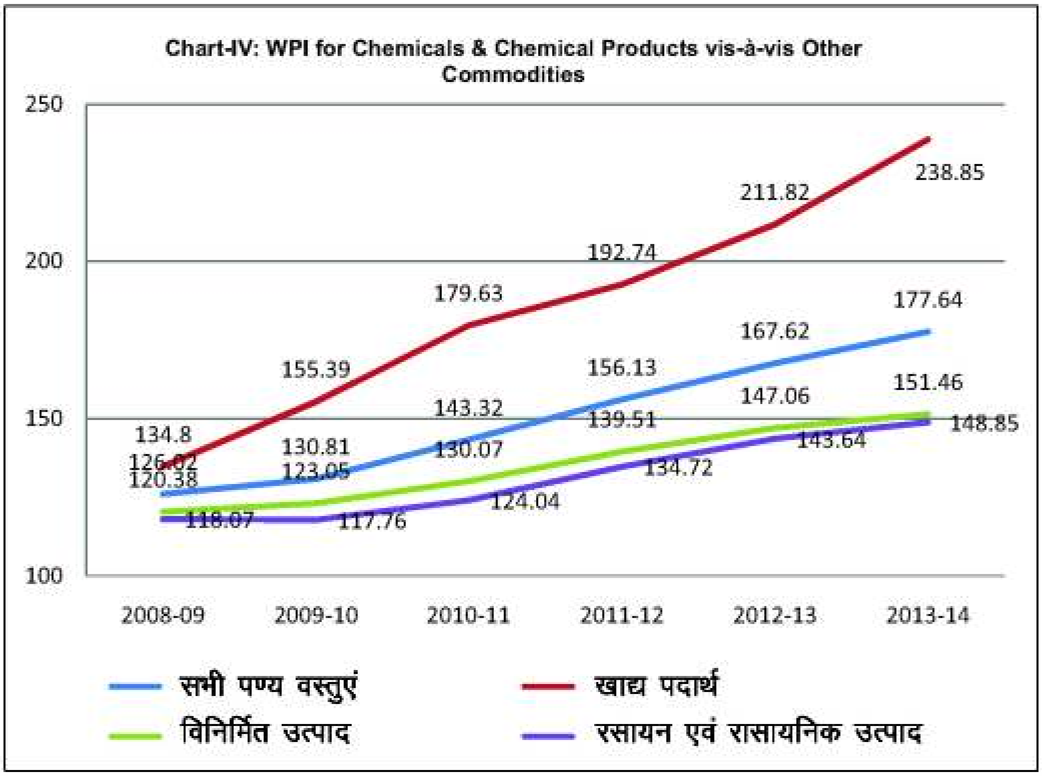

2.13 नीचे दी गई तालिका–VII वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक के दौरान रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के अन्दर विभिन्न वस्तु समूहों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाती है–

तालिका – VII : रसायन एवं रासायनिक उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक

विवरण	भार	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
रसायन और रासायनिक उत्पाद	12.02	118.1	117.8	124.0	134.7	143.60	148.9
मूल अकार्बनिक रसायन	1.19	126.2	125.0	126.3	138.2	147.80	150.6
मूल कार्बनिक रसायन	1.95	118.0	115.7	124.4	135.0	140.30	147.5
उर्वरक	2.66	106.8	108.2	116.8	132.6	149.00	152.3
कीटनाशक	0.48	110.5	110.6	113.6	114.9	121.20	125.9
पेंट, वार्निश एवं लेक्वर	0.53	117.6	117.5	122.6	128.5	143.60	147.6
डाइस्टफ एवं इंडिगो	0.56	115.5	111.9	116.3	122.5	126.90	132.6
दवाइयां	0.46	111.4	112.7	115.4	119.6	124.20	126.8
इत्र, श्रृंगार, प्रशाधन आदि	1.13	129.2	134.8	138.5	145.3	151.90	157.3
टर्पेनटाइन प्लास्टिक रसायन	0.59	116.9	117.4	123.4	136.1	140.00	147.6

विवरण	भार	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
सिंथेटिक रबर एवं पॉलिमर	0.97	119.6	116.3	123.4	130.4	135.30	142.8
पेट्रो–रसायन मध्यवर्ती	0.87	133.5	127.7	137.4	156.2	164.20	170.4
विस्फोटक एवं अन्य रसायन	0.63	121.6	123.8	128.7	135.5	142.60	149.8

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय डाटा 16 दिसम्बर, 2014 को http/www e- industry Nic in पद से प्राप्त किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

2.14 वर्ष 2010–11 से 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक) के दौरान रसायन और रासायनिक उत्पा्दों (औषध उत्पाादों और उर्वरकों के अलावा) के निर्यात और आयात का रुझान तालिका–VIII और चार्ट–V और VI में दिया गया है ।

तालिका VIII : निर्यात और आयात रसायन और रासायनिक उत्पाद (औषध उत्पाप्दों और उर्वरकों के अलावा)

एचएस कोड	पण्य वस्तुएं	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2013–14 (सितम्बर 13 तक)	2014–15 (सितम्बर 14 तक)
	कुल राष्ट्रीय निर्यात	1136964	1465959	1634319	1905011	910883	964547
28	अकार्बनिक रसायन	8564	8689	7176	8258	3877	4237
29	कार्बनिक रसायन	41709	56659	66435	73565	35036	36301
32	टेनिंग या ड्राई	7720	9336	11372	15455	6914	9333
38	विविध रासायनिक उत्पाद	9409	12465	15545	18694	8902	9587
39	प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	18150	25312	28012	34154	15948	16607
4002	मानव निर्मित फिलामेंट	175	266	181	245	109	173
54	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	10469	12466	12112	15575	7291	7411
55	कुल राष्ट्रीय निर्यात	8256	10599	10565	12621	5951	6382
क : कुल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद		104452	135832	151399	178567	84029	90031
कुल निर्यात में % अंश		9.2	9.3	9.3	9.4	9.2	9.3

चार्ट–V प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों के निर्यात का रुझान

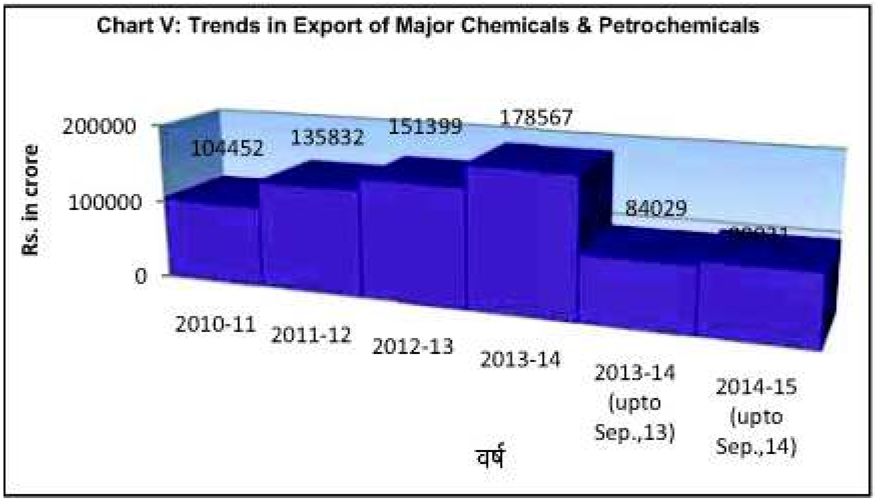

2.15 रसायनों और उत्पासदों (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा) का आयात 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक) में कुल आयात का 9.9% था, जबकि वर्ष 2013–14 (सितम्बर 2014 तक) में यह 8.9% रहा और निर्यात 2013–14 (सितम्बर, 2014 तक) में 9.2% की तुलना में निर्यात का 2014–15 (सितम्बर, 2013 तक) में 9.3% था।

***

अध्याय–3

योजनागत स्कीमें

3.1 रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के लाइसैंस–युक्त एवं विनियंत्रण ध्यान में रखते हुए, प्लान योजनाओं के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र निवेश अत्यन्त सीमित है। पीएसयूज तथा स्वायत्त संस्थानों को किए गए निर्गमों के अलावा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख प्लान योजना असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) है। जिसके लिए नियत लागत आधार पर परियोजना हेतु 4690 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी, 2961 करोड़ रु. का ऋण तथा 1269 करोड़ रु. की इक्वि टी के साथ 8920 करोड़ रु. की संशोधित परियोजना लागत है। परियोजना पूरा होने वाली है। बीसीपीएल के बोर्ड ने 9833.52 करोड़ रु. की पूंजीगत लागत की वृद्धि और जून, 2015 में परियोजना शुरू होने के प्रस्ताव को प्रस्तुजत करने की मंजूरी दी है। उन्होंने संयंत्र प्रचालन के 15 वर्षों के लिए 7775.71 करोड़ रूपये (एनपीवी 3,447.19 करोड़ रूपये है) की प्राकृतिक गैस पर फीडस्टॉक सब्सिरडी और प्रारम्भिक 3 वर्षों के लिए नकद घाटे को विस्फो टित करने हेतु 240.86 करोड़ रुपये की राजस्व सब्सिडी की भी मांग की है। इस परियोजना से रोजगार सृजन में पर्याप्त वृद्धि होगी और यह डाऊन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना सहायक कार्यकलापों से काफी अधिक निवेश आकर्षित करेगा। यह परियोजना असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए आर्थिक महत्व की है।

3.2 योजनावार योजना परिव्यय (2014–15 के लिए बजट अनुमान संशोधित अनुमान तथा 2015–16 के लिए बजट अनुमान), 2013–14 एवं 2014–15 (योजना) के लिए व्यनय क्रमशः तालिका – IX, X में क्रमशः दिए गए हैं।

तालिका – IX : विभाग का योजनावार योजना परिव्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2014–15	संशोधित अनुमान 2014–15	2015–16 (ब.अनु.)
I	**पीएसयू को परियोजना आधारित समर्थन**	35.51	35.51	32.00
1.1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	0.01	0.01	17.00
1.2	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड लिमिटेड (एचआईएल)	15.00	15.00	10.00
1.3	हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)	20.50	20.50	5.00
II	स्वायत्त निकायों को सहायता	107.98	102.74	93.68
2.1	सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आर्फ प्लास्टिक इन्जीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	102.98	101.05	92.68
2.2	इन्सटीट्यूट आर्फ पेस्टीसाइड फॉरमूलेशन टेक्नोलाजी	5.00	1.69	1.00
III	अन्य जारी परियोजनाएं	63.51	34.75	62.32
3.1	असम गैस क्रैकर योजना	0.01	0.01	0.01
क्र.सं.	योजना का नाम	2014–15 (ब.अनु.)	2014–15 (सं.अनु.)	2015–16 (ब.अनु.)

क्र.सं.	योजना का नाम	2014–15 (ब.अनु.)	2014–15 (सं.अनु.)	2015–16 (ब.अनु.)
3.2	केमिकल प्रमोशन एंड डेबलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस)	4.30	4.00	1.90
3.3	रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी)	1.20	1.20	1.00
3.4	आईटी/सचिवालय	0.50	0.70	1.00
3.5	पेट्रोरसायन की अन्या नई योजनाएं	57.50	29.04	58.41
	कुल	207.00	173.00	188.00

तालिका – X : 2013–14 एवं 2014–15 का व्यय (योजना)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय 2013–14	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का %	31.12.2014 तक व्यय 2014–2015	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यध्य का %
	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का :	0.7	100	0.48	68.57
2.	पेट्रो–रसायन की नई योजनाएं	31.34	79.34	4.59	15.80
3.	असम गैस क्रैकर परियोजना	976.96	100.00	0.00	0.00
4.	सीपीडीएस	2.83	95.33	1.70	42.50
5.	सीडब्ल्यूसी	0.96	64.00	0.46	38.33
6.	आईपीएफटी	4.34	100.00	0.88	52.07
7.	सिपेट	140.96	100.00	83.52	62.82
8.	एचआईएल	0.00	0.00	15.00	100.00
9.	एचओसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00
10	एचएफएल	0.00	0.00	16.80	81.95
	योग	1158.09	98.56	123.43	71.34

तालिका XI: व्यय 2013–14, सं. अनु. तथा व्यय 2013–14 और बजट अनुमान 2014–15 (योजनेत्तर)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय 2013–14	संशोधित अनुमान के सन्दर्भ में व्यय की %	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का%	31–12–2014 तक व्यय 2014–2015	बजट अनुमान 2015–2016
1	सचिवालय	13.91	87.65	10.90	72.37	15.79
2	सीपेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम गैस क्रैकर परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय 2013–14	सं.अनु. के संबंध में व्यय का %	व्यय 2014–15 (31–12–2014 तक)	'शोधित अनुमान के संबंध में व्यय का%	ब.अनु. 2015–16
4	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	33.51	71.93	20.06	59.79	47.64
5	सीडब्ल्यूसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
6	आईपीएफटी	3.08	81.05	0.72	17.69	3.70
7	पीसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	एचआईएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
9	एचओसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	एचएफएल			0.00	0.00	0.01
	योग	50.50	76.19	31.70	60.11	67.18

बीई : बजट अनुमानः 2014–15 कुल योजनेत्त.र–रूपये 63.68 करोड़
आरई : संशोधित अनुमानः 2014.15 कुल योजनेत्ततर– रूपये 52.73 करोड़

अध्याय – 4

पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

पृष्ठभूमि

4.1 भारत सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश एवं औद्योगिक विकास को संवर्द्धित करने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टनम) गुजरात(दाहेज), ओडिशा (पाराद्वीप) एवं तमिलनाडु (कुड्डालोर एवं नागापट्टिनम) में चार पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की स्थापना को अनुमोदित किया। ऐसे समन्वित पीसीपीआईआर से को–साईटिंग, नेटवर्किंग और आम अवसंरचना और सहायता सेवाओं का उपयोग करके बेहतर कौशल का लाभ उठाया जा सकेगा। प्रत्येक पीसीपीआईआर में लगभग 250 वर्ग कि.मी., जिसमें प्रोसेसिंग क्रियाकलाप के लिए निर्धारित 40% क्षेत्र रखा जाना है, विशेष रूप से निर्धारित निवेश क्षेत्र है।

4.2 पीसीपीआईआर की संकल्पना के अनुसार पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समेकित एवं पर्यावरण अनुकूल रूप से सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अप्रैल, 2007 में पीसीपीआईआर नीति को विकसित किया।

4.3 राज्य सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांपकन (ईआईए) करवाएगी तथा परियोजना क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगी। भारत सरकार जहां तक संभव होगा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के जरिए हाइवे, रेल, पोर्ट, एयर पोर्ट आदि के माध्यम से पीसीपीआईआर में ढांचागत विकास सुनिश्चित करेगी। केन्द्र सरकार इन संर्पकों के सृजन के लिए बजटीय सहायता के साथ सम्भाव्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन भी प्रदान करेगी।

4.4 नीति में प्रत्येक पीसीपीआईआर में एंकर टीनेंट के रूप मे एक रिफाइनरी/पेट्रोरसायन फीड स्टॉक कंपनी होने का प्रावधान है।

4.5 पीसीपीआईआर को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों, एंकर टिनेंट एवं प्रतिबद्धित निवेशकों के साथ उद्योग परिसंवाद, रोड शो, प्रदर्शनी, सेमीनार एवं सम्मेलन आदि के जरिए संवर्धित किया जाता है।

4.6 एक बार पूरी तरह स्थापित हो जाने के पश्चात, इन पीसीपीआईआर में 7,62,894 करोड़ रु. के निवेश होने की संभावना है । दिनांक 31.12.2014 तक इन क्षेत्रों में लगभग 1,47,967 करोड़ रु. के मूल्य का निवेश हो चुका है। पीसीपीआईआर में लगभग 53,468.7 करोड़ रु. मूल्य के अवसंरचना सृजित होने की संभावना है जिसमें भारत सरकार की ओर से 4646.30 करोड़ रु. का योगदान होगा। इस संबंध में प्रत्येक पीसीपीआईआर की प्रगति की तालिका–XII में प्रस्तुत है। चार पीसीपीआईआर में लगभग 33.96 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, पीसीपीआईआर से संबंधित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गतिविधियों के फलस्वरूप 2.22 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्तं हुआ है।

4.7 पीसीपीआईआर में बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक विकास, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के फलस्वरूप घरेलू एवं विदेशी निवेश के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करता है। पीसीपीआईआर से निम्नंलिखित लाभ एवं अवसर प्राप्त होने की संभावना है :

- घरेलू एवं वैश्विक बाजार के लिए रणनीतिक स्थ्[नों पर पोर्ट।
- सरकारी एजेंसियों एवं विकासकर्ताओं के पास उद्योग के आवंटन के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता।
- समर्पित पावर संयंत्र एवं वितरण नेटवर्क।
- सड़क, रेल एवं हवाई अड्डे से उत्कृष्टि संपर्क।
- प्रबंधन एवं कार्यान्वयन के लिए संस्थानिक तंत्र।
- विनियमित उद्योग एवं 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को संवर्द्धन।
- तकनीकी एवं कुशल जन शक्ति की तत्काल उपलब्ध्ता।
- पीपीपी मोड के माध्यम से ढांचागत विकास में निवेश का अवसर।
- भारतीय साझेदारों के साथ रिफाइनरी/क्रैकर कॉम्पलैक्स बड़े औद्योगिक इकाइयों आदि के लिए गठबंधन का अवसर।
- अपशिष्ट प्रबंधन, आवासीय, अस्पताल, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि सहित संयंत्रों एवं सेवाओं में निवेश।

4.8 पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने जुलाई, 2014 में आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा पीसीपीआईआर की प्रगति की समीक्षा की और सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों, संबंधित राज्य सरकारों, एंकर टीनेंट एवं उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक निगरानी समिति का गठन किया। यह समिति अवसंरचना परियोजनाओं, एंकर टीनेंट द्वारा निवेश तथा डाउनस्ट्रीम उद्योग, समन्वय उपयोगी परियोजनाएं, सामाजिक अवसरंचनाएं आदि के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के प्रावधान के लिए समन्वय एवं सुविधा प्रदान करेगी।

4.9 चारों पीसीपीआईआर की एक झलक निम्नानुसार है :

तालिका – XII : पीसीपीआईआर की तथ्य शीट

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओड़ीसा	तमिलनाडू
स्थान/क्षेत्र	दाहेज, भारुच	विशाखापट्टनम – काकीनाडा	पाराद्वीप	कुड्डालोर – नागापट्टिनम
अनुमोदन की तिथि	फरवरी, 2009	फरवरी 2009	दिसम्बर 2010	जुलाई 2012
समझौता ज्ञापन की तिथि	07.01.2010	01.10.2009	03.11.2011	20.02.2014
कुल क्षेत्र (वर्ग किमी.)	453	603.58	284.15	256.83
प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग किमी.)	248	270	123	104
एंकर टीनेंट	ओएनजीसी पेट्रोलियम एडीशन लि.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल)	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (आईओसीएल)	नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (एनओसीएल)
रिफाइनरी/क्रैकर क्षमता एमएमटीपीए में	क्रैकर : इथाइलीन : 1.1 प्रोपाइलीन : 0.6	9.3 से 15 (वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार) 15 (ग्रीनफील्ड)	15 (ग्रीनफील्डम रिफाइनरी)	12 (रिफाइनरी)
एंकर परियोजना स्थिति	तिथि : प्रारम्भ जून, 2015	ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए एंकर नैंट बोर्ड में अभी आना है।	प्रारम्भ तिथि : जून,2015	2011 से निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिसे प्रारम्भ, किया जाना है ।
अनुमोदित अवसंरचना परियोजनाओं की कुल राशि (करोड़ रु. में)	7749.70	19031.00	13634.00	13354.00
वीजीएफ के रूप में भारत सरकार का अंश दान (करोड़ रु. में)	80.50	1206.80	716.00	1143.00 1500.00 (बजटीय सहयोग)
प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु. में)	50,000	3,43,000	2,77,734	92,160
किया गया निवेश (करोड़ रु. में)	69,621	37,010	45,000	7,812
संभावित रोजगार (संख्या)	8,00,000	11,98,000	6,48,000	7,50,000
सृजित रोजगार (संख्या)	78,000	93,500	38,000	13,950
मास्टर प्लानिंग अधिसूचना की स्थिति	विकास योजना अनुमोदित	संशोधित प्रारूप अंतिम मास्टर प्लान जिसमें जनता की आपत्तियों को निपटाया गया है, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है	मास्टर प्लान योजना की तैयारी जारी है	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात इसे शुरू किया जाएगा

ईआईए की स्थिति	सीआरजेड मैपिंग एवं भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रक्रिया के अधीन है। अंतिम ईआईए प्रारूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुमत किया जाना है	ईएमपी/ईआईए अध्यीयन एपीपीसीबी के समक्ष प्रस्तुत सार्वजनिक सुनवाई शुरू की जाएगी	ईपीटीआरआई/एन–आईओ, गोवा से प्रस्ताव आईडीसीए द्वारा मूल्यांकन के अधीन	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात इसे शुरू किया जाएगा

* परियोजनाओं के अनुमोदन के स्तर के समय

4.10 पीसीपीआईआर की क्रियान्वयन की 31.12.2014 की स्थिति

4.10.1 गुजरात पीसीपीआईआर :

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में प्रारूप विकास की योजना प्लान संस्तुत की गई थी और वर्तमान में दो शहर योजनाएं (टीपी) स्कीम क्रियान्वित हो रही हैं ।
- गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जीआईडीसी) ने पीसीपीआईआर में अवसंरचना के प्रावधान के लिए 10,994 करोड़ रु. खर्च किए है।
- जल आपूर्ति, पोर्ट एवं सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 12000 करोड़ : अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है।
- निकट भविष्य में महत्वपूर्ण अवसरंचनात्मक गतिविधियों में 270 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश से सड़क का निर्माण, 40 एमएलडी क्षमता वाला कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लान (सीईटीपी), जलापूर्ति परियोजना को पूरा करना, दाहेज–II में सुवा में 220 केवी सब स्टेशन की स्थापना शामिल हैं।
- ओएनजीसी पेट्रो एडीशन्स लि.(ओपल), एंकर टीनेंट द्वि–ईंधन क्रैकर काम्पलेक्स ओएनजीसी से तथा आयातित एलएनजी से प्राप्त C2/C3 दाहेज एसईजेड में स्थापित कर रहा है जिसकी क्षमता इथाइलीन के लिए 1.1 मिलियन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) व प्रोपाइलीन क्षमता 0.6 एमएमटीपीए तथा इतना ही डाउनस्ट्रीम पॉलीमर क्षमता (पॉली इथाइलीन एवं पॉलीप्रोपाइलीन) होगी । कुल प्रस्तावित निवेश 21,396 करोड़ रु. का है। 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, ओपल परियोजना लगभग 93 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और परियोजना के जुलाई, 2015 में शुरू होने की संभावना है ।
- ओपल परियोजना के उत्पाद एचडीपीई, एलएलडीपीई, पॉलीप्रोपाइलीन, बेंजीन, ब्यूओटाडीन, पाई गैस एवं कार्बन ब्लैक फीडस्टॉजक (सीबीएफएस) आदि होंगे।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा सितम्बर, 2013 में दिए गए अनुमोदन के संदर्भ शर्तों (टीओआर) के आधार पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। जन सुनवाई के लिए अंतिम प्रारूप रिपोर्ट को जीपीसीबी के समक्ष 16.5.2014 को प्रस्तुत कर दिया गया। सीआरजेड मैपिंग एवं भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रक्रिया के है और अंतिम ईआईए का प्रारूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष वर्ष 2014–15 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
- गुजरात पीसीपीआईआर के क्रिर्यान्वयन के स्वसतंत्र मूल्यांकन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दाहेज पीसीपीआईआर के लिए गतिविधि के अनुसार कार्य योजना को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, जीआईडीसी, ओपल एवं अन्य के साथ 22 सितम्बसर, 2014 को गांधी नगर, गुजरात में परिचर्चा के उपरांत अंतिम रूप दिया गया है।

- टेरी ने सभी 44 गांवों का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन किया है और यह कार्य पूरा हो चुका है। किसी भी गांव के विस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं है। गांव स्थाल की बाहरी चारदीवारी के रूप में 300 से 500 मीटर का सुरक्षा जोन प्रदान किया गया है। टेरी ने मूलभूत जीवन की आवश्यकता के संबंध में अंतर विश्लेषण के संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। टेरी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर गुजरात पीसीपीआईआर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कई गतिविधियां शुरू की गई हैं।
- पीसीपीआईआर वेलफेयर सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन किया गया है। जीआईडीसी औद्योगिक प्लॉटों पर 15 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से अतिरिक्त। शुल्क लिया जाता है। अब तक 50 करोड़ रु. की राशि जमा की गई है। पीसीपीआईआर सोसाइटी ने 350 भूमिहीनों को 1500 रु. मासिक वृत्ति और 3 कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 15,700 रु. प्रतिवर्ष का ट्यूशन शुल्क प्रायोजित किया है । वाग्रा तालुका के 16 पीसीपीआईआर गांवों में शौचालय भवन बनवाने के लिए सोसाइटी को 1.7 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए हैं। जीआईडीसी ने 10 गावों में आंतरिक सड़कें एवं जलापूर्ति जैसी मूलभूत परियोजनाओं के विकास के लिए अब तक 24 करोड़ रु. खर्च किया है। जीआईडीसी दाहेज क्षेत्र में 5 गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए 8 करोड़ रु. की लागत से एक जलापूर्ति योजना को संचालित कर रहा है। जीआईडीसी द्वारा पीसीपीआईआर के सभी 44 गांवों में मॉडल आंगनबाड़ी–सह–जीवन केन्द्र का निर्माण किया गया है।

4.10.2 आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर :

- अंतिम मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करने के पश्चात अनुमोदन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष 23.5.2014 को प्रस्तुत किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, वी.के. पीसीपीआईआर एसडीए ने प्रारूप मास्टर प्लान पर प्राप्त सुझावों/आपत्तियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है प्रत्येक आपत्तिस के संबंध में एसडीए ने टिप्पाणी तैयार की है और आगे दिशा–निर्देश/अनुमोदन के लिए राज्यन सरकार के समक्ष प्रस्तुत है।
- ईपीटीआरआई ने ईएमपी एवं ईआईए अध्ययन पूरा कर लिया है और वी.के. पीसीपीआईआर एसडीए के समक्ष 22.10.2014 को प्रारूप ईआईए को प्रस्तुत किया और इसे 3.11.2014 को आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जन सुनवाई अभी की जानी है।
- ए.पी. पीसीपीआईआर में छः मौजूदा एसईजेड शामिल हैं।
- वर्ष 2009 में, भारत सरकार ने 1206.80 करोड़ रु. का वित्तीय सहयोग संभाव्यता अंतर निधियन वी जी एफ पीपीपी मोड़ में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुमोदित किया है। परिवहन क्षेत्र, अपशिष्ट जल अवसंरचना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संभावयता अंतर निधियन हेतु 1773.57 करोड़ रु. के लिए संशोधित प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी विभाग, वित्तीय मंत्रालय के समक्ष अक्टूबर, 2013 में प्रस्तुत किया गया जिसे 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। वी.के. पीसीपीआईआर एसडीए द्वारा पीसीपीआईआर एक्सप्रेस वे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एमईए के अनुमोदन के लिए डीपीआर प्रस्तुत करेगी।
- एंकर टीनेंट हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने वीके पीसीपीआईआर में मौजूदा रिफाइनरी को 9.3 एमएमटीपीए से बढाकर 15 एमएमटीपीए करने की प्रक्रिया में है। 15 एमएमटीपीए की ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कॉम्पलेक्स स्थापित करने के लिए एचपीसीएल के साथ भागीदार/निवेशक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- पेट्रोनेट द्वारा गंगावरण पोर्ट के निकट और गेल एवं शेल द्वारा काकीनाडा पोर्ट पर एलएनजी टर्मिनल बनाए जाने का प्रस्ताव है।

- वर्तमान में दक्षिण केन्द्रीय रेलवे (एससीआर) के चेन्नई–हावड़ा ट्रंक लाइन पीसीपीआईआर क्षेत्र को सेवा प्रदान कर रही है। निम्नलिखित रेलवे परियोजनाएं योजना अधीन हैं :
  - क. काकीनाडा पोर्ट से एससीआर तक रेल लिंक वाया काकीनाडा एसईजेड (38 किमी.)
  - ख. एपीएसईजेड को गंगावरण पोर्ट से जोड़ना (26 किमी.)
  - ग. एपी पीसीपीआईआर से एससीआर ट्रंक लाइन को जोड़ना (7.15 किमी.)
  - घ. सीएफएस/आईसीडी एवं भंडार गृहों के साथ रेल फ्रेट स्टेशन
  - ङ. उपरोक्त 'क' एवं 'ख' परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेस (राइट्स) द्वारा किया गया। इन परियोजनाओं के लिए 260.82 मिलियन यूएस डॉलर (1610 करोड़ रु.) का परिव्यय निर्धारित है।
- पीसीपीआईआर में रेल नेटवर्क के संबंध में राइट्स द्वारा गहन अध्ययन निम्निलिखित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित है :
  - क. दुवादा से देवादा तक ब्रांच लाइन
  - ख. इन तीनों समूह को जोड़ने वाले प्रस्तावित पीसीपीआईआर एक्सप्रेसवे के साथ रेलवे लाइन।
- एपीएसईजेड, विशाखापट्टनम जो कि पीसीपीआईआर का हिस्सा है, में मेरीन आउटफॉल के निर्माण का कार्य जारी है।
- एपीएसईजेड विशाखापट्टनम में ईपीसी मोड में 1.50 एमएलडी सीईटीपी के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।

4.10.3 ओड़ीसा पीसीपीआईआर

- पाराद्वीप पीसीपीआईआर के भीतर अवसरंचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वियन के लिए एक विशेष उद्देश्य निकाय (एसपीवी) पाराद्वीप इन्वेस्टमेंट जन डेवलेपमेंट लि. (पीआईआरडीएल) का गठन आईडीसीओ द्वारा किया गया है। यह एसपीवी कार्य कर रही है। मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
- पीसीपीआईआर में निवेश प्रस्ताव को सुगम बनाने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा एकल खिड़की अनापत्तिन समिति रूपरेखा स्थापित की गई है।
- एंकर टीनेंट अर्थात इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.(आईओसीएल) एवं ओडिशा सरकार द्वारा जनवरी, 2015 के अंत तक पीसीपीआईआर में डाउनस्ट्रीम पेट्रोरसायन उद्योग के विकास के संबंध में आईओसीएल द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की रूप–रेखा से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
- इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.(आईओसीएल) ने 32,108 करोड़ रु. का निवेश 15 एमएमटीपीए रिफाइनरी और पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की स्थांपना के लिए किया है। रिफाइनरी परियोजना के जून, 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
- आईओसीएल रिफाइनरी से पॉलीप्रोपाइलीन एवं इथाइलीन डेरीवेटिव वर्ष 2017 तक प्राप्त होने की संभावना है और क्रैकर से अन्य फीडस्टॉक बाद के स्तर से प्राप्त होंगे। ओडिशा सरकार ने पीसीपीआईआर में पेट्रोलियम रिफाइनरी/पेट्रोरसायन परिसर के लिए दूसरे एंकर टीनेंट से निवेश आमंत्रित किया है।
- पीसीपीआईआर एनएच 5ए द्वारा जुड़ा हुआ है (एनएचएआई द्वारा इसे छः लेन में परिवर्तित किया जा रहा है)। न्यू कटक – पाराद्वीप रोड पहले से ही चालू है। भुवनेश्वर(ग्रीन फील्ड) एवं अन्य पोर्ट (तटीय राजमार्ग) के साथ पीसीपीआईआर को जोड़ने के लिए नई सड़कों की योजना बन रही है। परियोजना के प्रारंभिक मूल्यांकन के पश्चात व्यावहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के लिए आर्थिक कार्य संबंधी विभाग के पास आवेदन किया जाएगा ।

- पीसीपीआईआर ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। न्यू पाराद्वीप से हरिदासपुर रेल लाइन 2016 तक शुरू होने की संभावना है। पीसीपीआईआर में 60 एकड़ भूमि पर कॉनकोर्ड द्वारा एक नए लॉजिस्टिक्स केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।
- पाराद्वीप पोर्ट की क्षमता वर्ष 2015 के अंत तक 130 एमएमटीपीए तक बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोलियम, ऑयल एवं लुब्रीकेन्टस के लिए समर्पित बर्थ एवं दूसरी 15 एमएमटीपीए सिंगल प्वा्इंट परियोजना प्रक्रियाधीन है। 100 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ धामरा पोर्ट का विकास डीपीसीएल द्वारा किया जा रहा है जिसमें से 25 एमएमटीपीए क्षमता शुरू हो चुकी है।
- 30 एमएमएससीएमडी क्षमता वाले सूरत–पाराद्वीप गैस पाइप लाइन(बाइ–डायरेक्शनल) का विकास 5400 करोड़ रु. की लागत से गेल द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- विद्युत आपूर्ति के लिए (फीडर लाइनसब स्टेशन) ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि. (ओपीटीसीएल) द्वारा प्रारंभिक अनुमान तैयार किए गए हैं। पीसीपीआईआर को ट्रांसमिशन लाइंस के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू किया जाएगा। ओपीटीसीएल को 40 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जोकि एसपीआई पोर्ट्स प्राइवेट लि. द्वारा विकसित किया जा रहा है, उच्च स्तरीय अनापत्ति प्राधिकरण (एचएलसीए) द्वारा अनुमोदित है। पाराद्वीप प्लास्टिक पार्क लि० (एसपीवी) पाराद्वीप में प्लास्टिक पार्क परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना के लिए सीजू गांव में 120 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी और अवसंरचनात्मक विकास जैसे सड़क, चारदीवारी आदि का निर्माण कार्य आईडीसीओ द्वारा किया जा रहा है।
- ठोस अपशिष्ट शोधन एवं निपटान कार्य के लिए अनुबंध देने हेतु बोली प्रक्रिया जारी है।

4.10.4 तमिलनाडु पीसीपीआईआर

- राज्य सरकार ने पीसीपीआईआर की अधिसूचना एवं पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन का कार्य शुरू किया है। इसके पश्चात, मास्टबर प्लानिंग और ईआईए गतिविधियां शुरू की जाएंगी।
- एंकर टीनेंट नागार्जुन ऑयल कारपोरेशन लि.(एनओसीएल) ने रिफाइनरी परियोजना में 7812 करोड़ रु. का निवेश किया है। परियोजना के निर्माण की समग्र प्रगति लगभग 60 प्रतिशत थी जब दिसम्बर, 2011 में 'थाणे' चक्रवात ने कार्य को रोक दिया और कंपनी वित्तीय बाधाओं में घिर गई। इसके कारण, परियोजना के प्रथम चरण के शुरू होने की तिथि बढ़ा दी गई है।
- इस परियोजना की क्षमता 6 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 12 एमएमटीपीए कर दी गई है।
- कच्चे तेल की प्राप्ति के लिए एकल बिन्दु निगरानी तेल व पेट्रोलियम ईंधन की निकासी के लिए उत्पाद जेट्टी का निर्माण कार्य निमार्णाधीन है और 51% प्रगति दर्ज की गई है।

***

अध्याय – 5

पेट्रोरसायनों के लिए नई स्कीमें

पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

5.1 इस स्कीम का लक्ष्य पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लागस्टिोक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी नवोन्मेनषण एवं संस्थानों को प्रोत्साहित करना है। इस स्कीउम के लिए नामांकनों को मंगवाना एवं उन्हें चयनित करने का कार्य सेन्ट्रल इंस्टीसट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (सिपेट) को सौंपा गया था।

5.2 एक करोड़ रूपये का परिव्यिय सिपेट को वर्ष 2013–14 के लिए प्रदान किया गया था। चौथे राष्ट्रीय पुरस्कारों (2013–14) के लिए, स्कीम की आठ श्रेणियों और तीन उप श्रेणियों के लिए 313 नामांकन प्राप्त हुए थे जिनमें से 17 विजेताओं तथा 6 'उपविजेताओं' का चयन किया गया था। मंत्री (सीएंडएफ) और राज्य मंत्री(सीएंडएफ) ने नई दिल्ली में 17–07–2014 को आयोजित एक समारोह में पुरस्कांर विजेताओं को सम्मा नित किया। प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण (2014–15) के लिए पांचवे राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 290 नामांकन प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्रौद्यागिकी नवोन्मेषण पुरस्कार 2014–15 के लिए 16 राष्ट्रीय पुरस्कारों तथा 14 उप–पुरस्कारों का चयन किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक समारोह 21.02.2015 को बैंगलुरु में आयोजित किया गया था।

उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना (सीओई)

5.3 इस स्कीम का लक्ष्य देश में पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी व अनुसंधान के लिए विद्यमान अवसंरचना में सुधार लाने तथा पॉलीमर व प्लास्टिक के विकास को संवर्धित करना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, निम्नलिखित दो उत्कृष्टता केन्द्रों को अनुमोदित किया गया (i) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे– अनुसंधान नमोन्मेषण और प्रशिक्षण (सीईओ–एसपीआईआरटी) के माध्यएम से अनुकूल पॉलीमर उद्योग के लिए उत्कृष्टता केन्द्र, और (ii) सेन्ट्रयल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लामस्टिरक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोललॉजी, चेन्नई हरित परिवहन नेटवर्क के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (जीआरईईटी)। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित तीन उत्कृष्टता केन्द्र(सीओई) अनुमोदित किये गए हैं: (i) आईआईटी, दिल्ली में एडवांस पॉलीमीरिक मेटीरियल के लिए सीओई, (ii) सिपेट भूवनेश्वनर में अनुकूल ग्रीन मैटीरियल पर सीओई) आईआईटी, गुवाहाटी में सतत् पॉलीमर के लिए सीओई।

5.4 सीओई–एसपीआईआरआईटी के अधीन सृजित परिसम्पत्तियों के परिणामस्वारूप न केवल पॉलिमर विज्ञान के क्षेत्र में समकालीन अनुसधान को प्रोत्साहन मिला है बल्कि पॉलिमर उद्योग के कई सदस्य एवं शिक्षाविदों को प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ है। सिपेट भुवनेश्वकर में अनुकूल ग्रीन मेटीरियल पर सीओई के मामले में, सिपेट, चेन्नई में सीओई ग्रीट टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा तथा मिसिगन स्टेट यूनिवरसिटी, यूएसए के बीच भागीदारी के माध्यकम से शिक्षा अनुसंधान एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। आईआईटी, दिल्ली और आईआईटी, गुवाहाटी में क्रमशः एडवांस्ड पॉलीमेरिक मैटीरियल और सतत पॉलीमर में अनुसंधान कार्यकलापों को आगे बढ़ाने लिए संसाधनों और क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

5.5 वर्ष 2014–15 में स्कीम के लिए 6 करोड़ रूपये का परिव्य्य प्रदान किया गया था। चयनित उत्कृष्टता केंद्रों के भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर, 2 करोड़ रूपये की दूसरी किस्त आईआईटी, गुवाहाटी को अगस्त, 2004 में जारी की गई थी। सिपेट, भुवनेश्वर में स्थापित किये जा रहे उत्कृष्टता केंद्र की प्रगति की समीक्षा नवम्बर, 2014 के दौरान की गई थी। विशेषज्ञ समूह की समीक्षा और सिफारिशों के आधार पर, 2 करोड़ रूपये की तीसरी किस्ते सिपेट, भुवनेश्वर को दिसम्बर, 2014 में जारी की गई है।

प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

5.6 इस स्कीम का उद्देश्य अत्यधिक आधुनिक अवसंरचना के साथ आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्क, जो एक पारिस्थितिकी व्यवस्था है, स्थापित करना तथा मूल्यं श्रृंखला को आगे बढ़ाने हेतु क्षेत्र की सहायता करने के लिए एक जैसी सुविधाएं प्रदान करना और अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करना है। इस स्कीम के अधीन, भारत सरकार 40 करोड़ रु. प्रति परियोजना की उच्चतम सीमा के शर्ताधीन परियोजना लागत के 50 % तक का अनुदान प्रदान करती है। शेष परियोजना लागत राज्य सरकार या राज्यः औद्योगिक विकासनगम या राज्य सरकार की एजेंसियों या लाभ पाने वाले उद्योगों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के द्वारा वित्त पोषित की जाती है।

5.7 स्कीम स्टीयरिंग समिति(एसएससी) ने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम व ओडीशा से प्राप्त क्रमशः 4 प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी । डीपीआर और अन्तिम अनुमोदन के पश्चात, विभाग ने मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लि. (एमपीपीपीडीसीएल), पाराद्वीप प्लास्टिक पार्क लि. (पीपीपीएल) तथा असम इंड्रस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन(एआईडीसी) को वर्ष 2013–14 में क्रमशः मध्य) प्रदेश, ओडीशा एवं असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए 8 करोड़ रु. की अनुदान सहायता की प्रथम किश्त जारी कर दी है। तमिलनाडु से सभी प्रकार से पूर्ण डीपीआर प्रतीक्षित है। विभाग ने 12वीं और 13वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए वर्तमान चार प्लास्टिक पार्कों और 6 अतिरिक्त पार्कों सहित 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए अतिरिक्त राशि मांगने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित कर दिया है।

***

अध्याय – 6

अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां

रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)

6.1 भारत रासायनिक आयुध निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) जिसका मुख्यालय दि हेग, नीदरलैंड, में है, के रासायनिक आयुध अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) का पक्षकार एवं हस्ताक्षरी है। यह समझौता सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण, बहु पक्षीय, निशस्त्रीकरण समझौता है जो दुनिया को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने की दिशा में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भडारण एवं उपयोग को रोकता है तथा इन्हे खत्म करने के लिए निगरानी करता है। भारत ने जनवरी 1993 के 14वें दिवस को इस समझौते पर पेरिस में हस्ताक्षर किया। इस अभिसमय के प्रावधानों के अनुसरण में रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम 2000 अधिनिगमित किया गया। आज की स्थिति के अनुसार 193 देश इस अभिसमय के पक्षकार देश हैं। समझौते के अधीन सभी देशो में भारत पहला राष्ट्र था जिसने रासायनिक हथियार के भण्डार को समाप्त कर रासायनिक हथियार मुक्त राष्ट्र की ख्याति पायी। रसायन एवं पेट्रो रासायन विभाग सीडब्ल्यूसी अधिनियम 2000 के लिए प्रशासनिक विभाग है। रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग (डीसीपीसी) अन्य रासायनिक उत्पादन सुविधा (ओसीपीएफ) सहित अनुसूची–I एवं अनुसूची–II रसायन का उत्पादन करने वाली ईकाइयों, उनके उत्पादन, खपत, आयात एवं निर्यात सम्बन्धी सभी मामलो, जिसमे पूर्व गतिविधियों के लिए वार्षिक घोषणा (एडीपीए) एवं संभावित गतिविधियों के लिए वार्षिक घोषणा (एडीएए) दायर करने की तैयारी और ओपीसीडब्ल्यू निरीक्षण दलों द्वारा रासायनिक संयत्रों का निरीक्षण सुकर बनाना शामिल है, के लिए उत्तरदायी है।

ओपीसीडब्ल्यू द्वारा निरीक्षण

6.2 समझौते के प्रावधानों के अनुसार भारत ओपीसीडब्ल्यू निरीक्षणों का आयोजन करता है ताकि अनुसूचित रसायनो के लिए सीडब्ल्यूसी और ओसीपीएफ के प्रावधानों का उल्लंघन न हो। आज की तिथि के अनुसार भारत द्वारा 175 ऐसे निरिक्षण आयोजित हुए हैं तथापि किसी भी निरीक्षण दल को किसी भी निरीक्षण में अनुसूची–I रसायन की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग सुचारू निरीक्षण के लिए एवं निरीक्षण पूर्व चर्चा के लिए दौरे पर आये अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण दलों के साथ स्थल पर औद्योगिक निरीक्षणों के लिए सक्षम तकनीकी अधिकारियों को तैनात करता है।

वार्षिक घोषणाएं

6.3 सीडब्ल्यूसी के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र पक्ष को प्रत्येक वर्ष में दो बार वार्षिक घोषणाएं अर्थात ओसीपीएफ सहित अनुसूची–II एवं अनुसूची–III रसायनों का उत्पादन करने वाली औद्योगिक ईकाइयों की पूर्व गतिविधियों के लिए वार्षिक घोषणा (एडीपीए) एवं संभावित गतिविधियों के लिए वार्षिक घोषणा (एडीएए) दायर करनी अपेक्षित होती है। रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग घोषणा योग्य रासायनिक इकाइयों से ऑनलाइन घोषणाएं आमंत्रित करता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर त्रुटि रहित घोषणा दायर करता है । भारत अमेरिका के बाद दूसरा राष्ट्र है जिनके घोषणा योग्य रासायनिक ईकाइयां ऑनलाइन घोषणा दायर करती हैं। प्रशासन में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

6.4 कैलेण्डर वर्ष 2014 के दौरान कुल 597 एडीपीए एवं 72 एडीएए दायर किये गए हैं।

सीडब्ल्यूसी हेल्प–डेस्क

6.5 देश के विभिन्न स्थानों पर विभाग ने भारतीय रसायन परिषद के सहयोग से पीपीपी मोड में हेल्पडेस्क भी स्थापित किए है । इन हेल्पडेस्कों के निम्नलिखित लोकेशन एवं कवरेज है:–

तालिका–XII : सीडब्ल्यूसी हेल्प–डेस्क

स्थान	शामिल राज्य
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, ओड़िसा और छत्तीसगढ़
कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और पूर्वोत्तर क्षेत्र
दिल्ली	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखण्ड एवं जम्मू और कश्मीर एवं दिल्ली
मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश
चैन्नई	तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक
वड़ोदरा	गुजरात

6.6 समझौते के सभी पक्षकार देशो के बीच भारत प्रथम राष्ट्र है जिसने हेल्प–डेस्क की स्थापना की है। ये हेल्प–डेस्क सरकार और रसायन उद्योग के बीच समझौते के दायित्वों और उनके अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण इंटरफेस का काम करते हैं । ये हेल्प–डेस्क जागरूकता का सृजन करते हैं और औद्योगिक ईकाइयों को समझौता के प्रावधानों को समझने और घोषणा दायर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त हेल्प–डेस्क घोषणा योग्य औद्योगिक ईकाइयों के प्रतिनिधियों के लिए अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्रो में कई प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सीडब्ल्यूसी प्लान स्कीम के अधीन अनुमोदित 88 लाख रु. में से 86.5 लाख रु. का उपयोग हेल्प–डेस्क की विभिन गतिविधियों के आयोजन में कर लिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त हेल्प–डेस्क निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित करता है :–

- सीडब्ल्यूसी अधिनियम के अन्तर्गत रसायन उद्योग की प्रतिबद्धताओं और सीडब्ल्यूसी के बारे में सूचना देना।
- उद्योग के सर्वे के माध्यम से संभावित घोषणाकर्त्ता नई ईकाइयों की पहचान तथा घोषणा दायर करने में उनकी सहायता करना।
- वर्ष 2014 के दौरान 15 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए।

रोटरडैम कन्वेशन

6.7 पीआईसी यानी पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया पर रोटरडैम कन्वेशन को रोटरडैम में प्लेनिपोटेनटरिज सम्मेलन में 10 सितम्बर, 1998 को अपनाया गया। यह समझौता 24 फरवरी, 2004 से लागू हुआ। भारत ने 24.5.2006 को अपनी सहमति दी।

6.8 इन कन्वेंशन का लक्ष्य जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पक्षों के बीच सामूहिक उत्तरदायित्व एवं सहकारी प्रयासों को

बढ़ावा देना है। यह खतरनाक रसायनों के आयात–निर्यात के बारे में राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया की व्यवस्था करके उनकी विशेषताओं के बारे में सूचना के आदान– प्रदान को सुकर बना कर तथा पार्टियों को इन निर्णयों की जानकारी देकर पर्यावरणीय रूप से इनके सुरक्षित उपयोग में भी योगदान देना चाहता है।

6.9 प्रत्येक पक्ष से आशा की जाती है कि वह समझौते के अन्तर्गत अपेक्षित प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण नामित करें । रसायन और पेट्रोरसायन विभाग औद्योगिक रसायनों के लिए पदनामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है और कृषि और सहकारिता विभाग पेस्टीसाइड्स के लिए पदनामित राष्ट्रीय प्राधिकरण (डीएनए) है।

6.10 33 पेस्टीसाइडों, 4 अत्यन्त खतरनाक पेस्टीसाइड फार्मूलेशनों और 14 औद्योगिक रसायनों सहित समझौते के अनुबंध–III में 47 रसायन सूचीबद्ध और पीआईसी प्रक्रिया के अधीन है। पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पीआईसी सचिवालय को इन रसायनों से सम्बन्धित अपनी आयात नीति की जानकारी दें। निर्यातक पक्ष को आयातक देश में प्रतिबंधित और सख्ती से सीमित रसायनों के सम्बन्ध में आयातक पक्ष को निर्यात अधिसूचना प्रदान करनी पड़ती है। औद्योगिक रसायनों के लिए अन्य पक्षों से प्राप्त निर्यात अधिसूचनाओं की रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, जो रसायन के लिए डीएनए है, द्वारा जांच की जाती है और निर्यातक देश के डीएनए को पावती/उत्तर भेजा जाता है।

6.11 वर्ष 2014–15 के दौरान, विभाग ने रोटरडैम समझौते के अधीन उत्तरदायित्व के प्रति उद्योग को संवेदित करने के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

स्टाकहोम समझौता

6.12 स्टॉक होम समझौता को भारत ने 13.01.2006 को इस समझौते की अभिपुष्टि की, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपीज) से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने की वैश्विक संधि है। पीओपीज ऐसे रसायन हैं जो लम्बी अवधि के लिए पर्यावरण में अक्षुण्ण रहते हैं, भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से संवितरित हो जाते हैं, सजीवों के वसायुक्त टिश्यू में जमा हो जाते है और मनुष्यों तथा वन्य जीवों के लिए जहरीलें होते हैं। पीओपीज विश्वभर में फैल सकते हैं और ये जहां कहीं भी जाएंगें, नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझौते में यह निर्धारित किया गया है कि इसके क्रियान्वयन में सरकारों को पर्यावरण में पीओपी के निर्गम को समाप्त करने या कम करने का उपाय करना होगा। यह समझौता 17 मई, 2004 को लागू हुआ।

6.13 स्टॉकहोम समझौते में जानबूझ कर उत्पादित सभी पीओपीज (औद्योगिक रसायन एवं पेस्टीसाइड्स) की समाप्ति या उस पर प्रतिबंध की मांग की गई है। इस समझौते में डॉयोक्सिन और फ्यूरोन्स जैसे अनजाने में उत्पादित पीओपीज के निर्गम का निरंतर अल्पीकरण और जहां कहीं व्यवहार्य हों, इसकी पूर्ण समाप्ति की भी मांग की गई है। वर्तमान में, स्टॉकहोम समझौते के अन्तर्गत इक्कीस रसायन शामिल हैं जिसमें से भारत में डीडीटी का उपयोग प्रतिबंधित है। कृषि के उद्देश्यों के लिए डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मलेरिया नियंत्रण में उपयोग के लिए ही इसका सीमित तरीके से उत्पादन किया जाता है । इसके अतिरिक्त, रसायन डेलड्रीन जो कि स्टॉक होम समझौते के अन्तर्गत सूचीबद्ध भी है, का प्रयोग टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सीमित तरीके से किया जाता है ।

6.14 पीओपीज वाले स्टॉकपाइल्स तथा कचरे का अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानकों और मार्गनिदेशों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, दक्ष और पर्यावरणानुकुल तरीके से निश्चित रूप से प्रबंधन और नियन्त्रण किया जाना चाहिए। प्रत्येक देश को इस समझौते के अन्तर्गत अपनी बाध्यताओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी योजना विकसित करने की आवश्यकता है। समझौते के क्रियान्वयन में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए एक अंतरिम वित्तीय तंत्र रूप में वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा (जीईएफ) की स्थापना की गई है।

6.15 वर्ष 2014–15 के दौरान, विभाग ने स्टॉकहोम समझौते के अधीन उत्तरदायित्व के प्रति उद्योग को संवेदित करने के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

***

अध्याय – 7

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी

7.1 अभूतपूर्व स्वकरूप की एक औद्योगिक त्रासदी 2/3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि को हुई जब भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्टरी के 2 टैंकों में रखी हुई मिथाइल आइसोसायनेट (मिक) नामक एक घातक गैस के वातावरण में फैलने के कारण भोपाल शहर में भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और घायल हुए। दुर्घटना के तत्काल बाद विभिन्न राहत और पुनर्वास उपाय किए गए, इनमें से कुछ राहत उपाय अभी तक जारी हैं।

मुआवजों का अधिनिर्णय एवं संवितरण

7.2 दिनांक 14 एवं 15 फरवरी, 1989 के आदेशों के तहत जरी किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, यूएसए ने 470 मिलियन यूएस डॉलर मुआवजा राशि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास फरवरी, 1989 में जमा करवा दी थी। पीड़ितों को उचित कानूनी हक सुनिश्चित कराने और उनके दावों के निपटारे के लिए भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत एक योजना तैयार की थी और इस स्कीम के तहत पीड़ितों को उचित वैधानिक प्रतिनिधित्व और उनके दावों के निपटान को सुनिश्चित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों के परिवारों और आश्रितों को मुआवजा वितरित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित कार्यालय की स्थापना की गई थी।

7.3 मुआवजों के अधिनिर्णय और संवितरण की प्रक्रिया वर्ष 1992 में आरंभ हुई। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने मृत्यु, स्थायी अपंगता, अस्थायी अपंगता, अत्यंत गंभीर चोटें, कम गंभीर चोटें, सम्पत्ति का नुकसान एवं पशुधन की हानि श्रेणियों में 5,74,386 दावेदारों को 1548.59 करोड़ रूपये बांटे हैं।

7.4 वर्ष 2004 में यह बात ध्यान में लाई गई कि लगभग 1500 करोड़ रु. की राशि भारतीय रिजर्व बैंक में ब्याज और विनिमय दर में विचलन से एकत्रित राशि खाते में संग्रहीत हो गई है। सर्वोच्च न्यायलय ने 19 जुलाई, 2004 के आदेश के तहत कल्याण आयुक्त को उक्त राशि को यथानुपात रूप से (मूल मुआवजा के 1:1 के अनुपात में) उन व्यक्तियों को संवितरित करने का निदेश दिया जिनके मामलों का निपटारा हो गया है । 31.12.2014 तक 1511.54 करोड़ रु यथानुपात मुआवजे के आधार पर 5,62,981 दावेदारों को संवितरित किए गए थे। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य जारी है। चूंकि बहुत कम दावेदार यथानुपात मुआवजे के लिए उपस्थित हो रहे हैं, अतः कल्याण आयुक्त ने यथानुपात मुआवजे के लिए अनुपस्थित दावेदारों के मामले को बंद करने के विषय पर उच्चतम न्यायालय से निदेश मांगा है।

अनुग्रह राशि का संवितरण

7.5 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी मंत्रियों के समूह (जीओएम) के 26.5.2010 के गठन के पश्चात, सरकार ने गैस पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास देने के लिए कतिपय निर्णय लिए। सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में एक महत्वरपूर्ण निर्णय निम्नलिखित श्रेणियों में अनुग्रह राशि के भुगतान का है।

तालिका–XVI – गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतानों की श्रेणियां

श्रेणी	अनुग्रह राशि
मृत्यु	₹ 10 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
स्थायी अपंगता	₹ 5 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अत्यंत गंभीर चोटें	₹ 5 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
कैंसर मामले	₹ 2 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
पूरी तरह किडनी असफलता के मामले	₹ 2 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अस्थायी अपंगता	₹ 1 लाख (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)

7.6 सरकार द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के अनुमानित 62,448 गैस पीड़ितों के बीच अनुग्रह राशि के संवितरण के लिए 874.28 करोड़ रु. की राशि की मंजूरी दी गई है। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने 19.12.2010 को गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना शुरू किया और 31.12.2014 तक, 55543 मामलों में निर्णय लिया गया और 747.68 करोड़ रुपए इन मामलों में स्वीकृत संवितरित किए गए हैं।

भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना

7.7 केन्द्र सरकार ने 102 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता पुनर्वास कार्य के लिए 1985 से 4 वर्षों की अवधि तक प्रदान की है। तदुपरांत, गैस पीड़ितों की चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार ने 163.10 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ एक कार्य योजना को अनुमोदित किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 258 करोड़ रूपये कर दिया गया। यह परिव्यय केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाना था। कार्य योजना को 1990 से 1999 तक कार्यान्वियत किया गया। कार्य योजना का प्रमुख घटक चिकित्सीय पुनर्वास था जिसमें गैस पीड़ितों के इलाज के लिए 6 पूर्णतः सुसज्जित गैस राहत अस्पवतालों तथा डिस्पेन्सरियों की स्थापना करना शामिल थी। इसके अलावा, यूसीआईएल संयत्र स्थल के आसपास के 14 इलाकों, जहां का भूजल पीने योग्य नहीं है, में पाइपलाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए अप्रैल, 2006 में भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधीन 14.18 करोड़ रु. प्रदान किए गए थे।

7.8 भोपाल गैस पीड़ितों के लिए किए जाने वाले विभिन्न पुनर्वास उपायों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में भेजी गई अन्य कार्य योजना के आधार पर राज्य सरकार को चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास एवं स्वच्छ पेय जल के प्रावधान के लिए 75:25 के आधार पर 272.75 करोड़ रूपये के परिव्यवय के साथ एक योजना मंजूर की। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अनुदान घटक के रूप में 204.56 करोड़ रूपये की राशि 8.7.2010 को अनुमोदित की गई थी।

7.9 मध्य प्रदेश सरकार नई कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न पुनर्वास स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। राज्यप सरकार ने यह सूचित किया है कि नवम्बर, 2014 तक आवांटित 272.75 करोड़ रूपये में से 129.45 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया है।

7.10 सामाजिक पुनर्वास : अनुमानित 5,000 गैस पीड़ितों की विधवाओं को पांच वर्ष की अवधि के लिए 1,000रु. प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाना है जिसके लिए 30 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। नवम्बर, 2014 तक, 4,837 विधवाओं के मामले में पेंशन जारी कर दी गई है। यूसीआईएल फैक्ट्री के आस–पास रहने वाले गैस पीड़ितों के 2500 परिवारों के लिए निःशुल्क भवनों के निर्माण के लिए 40 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई थी। राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह बताया है कि आवांटित 40 करोड़ रूपये की राशि से केवल 897 भवनों का निर्माण किया जा सकता है जिसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह प्रस्ताावित किया गया है कि इन इलाकों में रह रहे निवासियों के लिए अन्यय 9517 मकानों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है जिनके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

7.11 चिकित्सा पुनर्वास : गैस पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए प्रथम कार्य योजना के अंतर्गत पूर्व में स्थापित 6 गैस राहत अस्पतालों के लिए नए भवन का निर्माण नवीनीकरण का कार्य शुरू किया गया है। इन अस्पतालों के लिए नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

7.12 आर्थिक पुनर्वास : गैस पीड़ितों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने रोजगार अवसर के साथ उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों को विभिन्नम ट्रेडो में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 21 संस्थानों का चयन किया है। 12155 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए चयन करके उनको प्रशिक्षित किया गया। चयनित संस्थाकओं ने 9300 प्लेसमेंट सूचित किए हैं, जिनमें से 17 संस्थाओं के 4411 प्लेनसमेंटों का सत्यापन किया जा रहा है। इस संबंध में नवम्बर, 2014 तक व्यय 18.13 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

7.13 स्वच्छ पेयजल : गैस पीड़ितों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए आवंटित 50 करोड़ रु. में से मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के गैस प्रभावित वार्डों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल के प्रावधान के लिए नवम्बर, 2014 तक 42.28 करोड़ रु. व्यय किए हैं।

भोपाल स्मृति अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी)

7.14 उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन द्वारा दिए गए पैसे से गैस पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए अति विशिष्ट सुविधाओं सहित एक स्पेशलिटी अस्पताल भोपाल में स्थापित किया गया है जिसका नाम भोपाल स्मृति अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी) है। विशिष्ट सुविधाओं से लैस एक स्पेशलिटी अस्पताल ने जुलाई, 2000 में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। इस अस्पताल में हृदय वक्षीय शल्य चिकित्सा, वृक्क संबंधी चिकित्सा, मूत्र विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, फुप्फुसीय चिकित्सा, मनोविज्ञान आदि जैसी 12 विधाओं में सुविधाओं सहित 330 बिस्तर उपलबध हैं। गैस पीड़ितों के लिए भोपाल में विभिन्न गैस प्रभावित वार्डों में अस्पताल की 8 मिनी यूनिटें स्थापित की गई हैं।

7.15 प्रारम्भ में, अस्पताल के प्रबंधन का रख–रखाव भारत के सेवा निवृत मुख्य न्यायधीश, श्री ए.एम अहमदी की अध्यक्षता में एक न्यास नामतः भोपाल स्मारक हॉस्पिटल ट्रस्ट (बीएमएचटी) द्वारा किया गया था। मंत्री समूह की सिफारिश पर तथा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बीएमएचआरसी का प्रशासन भारत सरकार द्वारा 2010 ने अपने अधिकार में लिया गया है और अब अस्पताल का प्रशासन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

आईसीएमआर 31वां अनुसंधान केंद्र

7.16 गैस रिसाव के पश्चात, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने (ICMR) 1984 में भोपाल में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया था और महामारी अनुसंधान एवं नैदानिक अध्ययन किए थे। 1987 एवं 1994 में अनुसंधान पत्र के प्रकाशन के पश्चात आईसीएमआर ने 31.12.1994 को अनुसंधान कार्य बंद कर दिया था और अनुसंधान केन्द्र (पुनर्वास अध्ययन केन्द्र) मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया। सरकार ने मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया था कि आईसीएमआर भोपाल में पूर्ण रूप से एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करके गैस पीड़ितों पर अनुसंधान कार्य फिर से शुरू कर सकता है। तदनुसार, आईसीएमआर ने कुछ चिन्हित क्षेत्रों जैसे श्वांस संबंधी रोगों, कैंसर, पूरी तरह किडनी फेल, जेनेटिक गड़बड़ी, दूसरी पीढ़ी के बच्चों से संबंधित चिकित्सा, मामलों में अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए 11 अक्टूबर, 2010 को भोपाल स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनआईआरईएच) नाम से 31वां अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया।

यूसीआईएल संयंत्र स्थल के पर्यावरणीय उपचारण

7.17 सरकार के निर्णय के अनुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री की अध्यक्षता एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री की सह–अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपचार कार्रवाई के सहयोग एवं निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूसीआईएल संयत्र साइट पर संदर्भित विभागों/एजेंसियों के सभी सदस्यों को उपचारी कार्रवाई करने में सहायता और निगरानी प्रदान करेगी। भोपाल स्थित यूसीआईएल संयत्र स्तर पर 350 एमटी भण्डारित विषैले अपशिष्ट के निपटान के कार्यकलाप की निगरानी और मॉनीटरिंग पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दायर एसएलपी संख्या 9874/2012 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है । पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शपथ पत्र– कृतकारवाई रिर्पोट न्यायालय में दायर कर रहा है।

उपचारी याचिका :

7.18 मंत्रिमंडल के निर्देश पर, भारत संघ ने 1989 के न्यायालय के पूर्ववर्ती न्याय की समीक्षा का अनुरोध करके, 470 मिलियन यूएस डॉलर की राशि के मुआवजे का निपटारा करके यूनियन कॉबाइड कारपोरेशन (यूसीसी), यूएसए, डॉव कैमिकल्स, यूएसए और यूसीसी और अथवा यूसीसी की उत्तरवर्ती कंपनियों के बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने वाले अन्यों के विरूद्ध एक उपचारी याचिका संख्याव 345–347 दिसम्बर, 2010 में दायर की थी। 1989 में यूसीसी के साथ तय मुआवजे की राशि में वृद्धि के अलावा, याचिका में पीड़ितों के लिए विभिन्न पुनर्वास उपायों के लिए सरकार द्वारा व्यय की गई राशि और पर्यावरण उपचारण के लिए अपेक्षित राशि के संवितरण का दावा भी किया गया है। उपचारी याचिका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पर मंत्रियों के समूह(जीओएम) का समाप्त किया जाना

7.19 मंत्रियों के सभी समूहों को समाप्ती करने के लिए 31 मई, 2014 को सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के परिणामस्वरूप जीओएम के समक्ष भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी विचाराधीन मुद्दों पर मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) के स्तर पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है। मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने संबंधित विभाग, संगठन, मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचाराधीन मुद्दों, जिनमें अनुग्रह राशि पुनर्वास स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति, पर्यावरण उपचारण के लिए धनराशि के प्रावधान के विचाराधीन मामले शामिल थे, पर विचार करने के लिए एक बैठक की थी। मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने सभी संबंधितों को अपेक्षित कार्रवाई के निदेश जारी किए।

***

अध्याय–8

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

असम गैस क्रैकर परियोजना (ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड)

8.1 केंद्र सरकार, अखिल असम छात्र यूनियन (आसु) और अखिल असमगण परिषद (एएजीपी) के बीच 15 अगस्त, 1985 को समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के अनुसरण में असम गैस क्रैकर परियोजना शुरू की गयी थी । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 18 अप्रैल, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में 5460.61 करोड़ रुपए (परियोजना लागत) पर असम गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना को अनुमोदित कर दिया था। संयुक्त उद्यम कंपनी, नामतरू मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। तथापि, विभिन्न कारणों से परियोजना के समय एवं लागत में वृद्धि हुई। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 8920 करोड़ रूपए (व्यथा निर्वारण आधार पर) के संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित किया और मैकेनिकल परिपूर्ण की तिथि जुलाई, 2013 और परियोजना शुरू होने की तिथि दिसम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी।

8.2 15 दिसम्बर, 2014 तक की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण भौतिक प्रगति 99% थी और संचयी व्यय 8086.79 करोड़ रु. अर्थात 90.66% थी। विभाग ने 4690 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी बीसीपीएल को जारी कर दी। कई इकाइयों में प्रारंभन पूर्व गतिविधियां जारी हैं।

8.3 समय बढ़ने, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव, मूल्य में उतार–चढ़ाव कार्य क्षेत्रों में परिवर्तन सांविधिक प्रभावों में वृद्धि आदि के मद्देनजर बीसीपीएल ने अनुमोदित परियोजना लागत को संशोधित करके 9833.52 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव किया है। 913.52 करोड़ रु. की बढ़ी हुई लागत को 478.96 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी, 304.19 करोड़ रु. के ऋण एवं 130.37 करोड़ रु. की इक्विटी द्वारा वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है। शुरू होने की संशोधित तिथि जून, 2015 निर्धारित की गई है।

8.4 इसके अतिरिक्त, परियोजना को आर्थिक रूप से संभाव्य बनाने के लिए बीसीपीएल ने संयंत्र के प्रचालन के 15 वर्षों के लिए 7775.71 करोड़ रु. के प्राकृतिक गैस पर फीडस्टॉक सब्सिडी (3447.19 करोड़ रु. का एनपीवी) तथा प्रारंभिक तीन वर्षों के दौरान नकदी की कमी को पूरा करने के लिए 240.86 करोड़ रु. का राजस्व सब्सिडी का प्रस्ताव करते हैं। यह प्रस्ताव प्राकृतिक गैस के वर्तमान मूल्य 5.61 यूएस डॉलर एमएमबीटीयू और तीन वर्षों के औसत पॉलिमर मूल्य पर आधारित है।

8.5 परियोजना के समय एवं लागत अभिवृद्धि के कारणों के परिपालन के लिए स्थायी समिति का गठन किया गया है और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) एवं आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

8.6 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायनों/मध्यवर्तियों के लिए

विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए सरकारी कंपनी के रूप में 12 दिसम्बर, 1960 को विनिगमित किया गया था जो रंजक, रंजक–मध्यवर्तियों, रबड़ रसायनों, पेस्टिसाइड्स, औषधों और भेषजों, लेमिनेट्स आदि के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। एचओसीएल द्वारा विर्निमित उत्पादों में फिनाल, एसीटोन, फार्मेलडिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, एनीलीन, नाइट्रोटोल्यून, नाइट्रिक एसिड, डाइ–नाइट्रोजनटेट्रा ऑक्साइड (N_2O_4) और हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल हैं । एचओसीएल द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल में बेंजीन, टोल्यून, एलपीजी, मेथनोल, सीएनजी और सल्फर शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पेट्रोलियम रिफाइनरियों से आते हैं। एचओसीएल देश में तरल राकेट उड़ान (N_2O_4) का एकमात्र विनिर्माता है और इसरो को उपग्रह को आकाश में छोड़ने के लिए उनकी आपूर्ति करता है । एचओसीएल में अब सरकार की 58.78% की अंशधारिता है।

8.7 एचओसीएल की दो इकाइयाँ रसायनी (महाराष्ट्र) में और कोच्चि (केरल) में हैं। इसकी मै. हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी भी है जो रुद्रराम, मेड़क (आंध्र प्रदेश) में स्थित है और यह पोलीटेट्रा–फ्लूरो इथाइलीन (पीटीएफई) का विनिर्माण करती है जो कि एक उच्च प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग प्लास्टिक है।

8.8 कंपनी को फरवरी, 2005 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआरएफआर) को संदर्भ किया और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 09.03.2006 को एक पुनर्वास प्रस्ताव अनुमोदित किया गया जिसमें गैर संचयी वरियता शेयर को 8% पर पुनर्भुगतान के आधार पर उच्च लागत बांडों एवं वीआरएस के भुगतान के लिए, 31.3.2005 तक के दंड ब्याज की माफी और ब्याज पर ब्याज की माफी तथा भारत सरकार के 100 करोड़ रूपए की गारंटी को 10 वर्षों तक उपयोग करने के लिए 250 करोड़. रु. का नकद निषेचन शामिल है। इस वित्तीय पुर्नसंरचना के उपरांत कंपनी का नेटवर्थ सकारात्मक हो गया और बीआरएफआर ने कंपनी को रुग्णथ उद्योग कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की परिधि से 2008 में बाहर कर दिया।

8.9 गत वर्षों के दौरान, कंपनी को फिर से हानि हो रही है तथा एचओसीएल की खराब वित्तीय स्थिंति को देखते हुए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने अगस्त, 2013 में 250 करोड़ रु. की प्राथमिकता शेयरों की पुनः प्राप्ति जो कि वर्ष 2011–12 में नियत था, के स्थिगन को चार वर्षों के लिए (अर्थात 2015–16 से) अनुमोदित किया और 100 करोड़ रु. की भारत सरकार की गारण्टी को अगस्त, 2017 तक के लिए नवीकरण कर दिया। तत्पश्चात, लगातार हानियों की वजह से 31.3.2013 को कंपनी का नेटवर्क फिर से नकारात्मक हो गया और एचओसीएल ने 27 नवम्बर, 2013 को बीआईएफआर के पास आवेदन किया और 08.10.2014 को बीआईएफआर के साथ पंजीकृत हुआ। हाल में ही भारत सरकार की गारंटी के सहयोग से एचओसीएल ने बाजार से 150 करोड़ रु. जुटाए हैं और कोच्चि संयंत्र में उत्पादन पुनः शुरू किया है।

8.10 गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी की भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नासनुसार रहा : (तालिका–XV)

तालिका–XV – एचओसीएल का कार्यनिष्पादन

वर्ष	बिक्री/टर्नओवर(करोड़ रु.)	शुद्ध लाभ/हानि(करोड़ रु.)
2009–10	520.71	(–) 83.07
2010–11	738.04	(+) 25.71
2011–12	606.36	(–) 78.07
2012–13	624.19	(–) 137.99
2013–14	237.20	(–) 176.85

8.11 वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान अनंतिम एवं अलेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार कंपनी का कुल कारोबार 80.37 करोड़ रु. एवं शुद्ध हानि 126.56 करोड़ रु. रहा।

8.12 कोच्चि इकाई वर्ष भर अपने संस्थापित क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करती रही है क्योंकि बीपीसीएल–केआर और एचओसीएल प्लांट के बीच स्थापित पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से कच्चे माल की लगातार आपूर्ति करने के लिए उपाय किए गए, जिससे कंपनी को बाधा रहित उत्पादन कार्य निष्पादन को सुचारू रूप से बनाने में मदद मिली। इससे कंपनी को सैंपलिंग के लिए बाह्य खर्चे व व्ययों को कम करने व टैंकर तथा लॉरियों से कच्चा माल प्राप्त होने की दशा में होने वाले हानि पर पूरा नियंत्रण करके पूर्णतः समाप्त करने में मदद मिली है और इस प्रकार कंपनी के प्रचालन एवं इकाई की सुरक्षा में सुधार हुआ है।

8.13 एचओसीएल उत्पादन लागत कम करने तथा राजस्वो को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। रसायनी में, नाइट्रिक एसिड संयत्र, जहां डाईनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड (N_2O_4) का उत्पादन होता है, के नवीकरण का कार्य पूरा हो गया है। इसी तरह, कोच्चि इकाई में बर्नर एवं ब्यॉलर के अन्य उपकरणों, हॉट ऑयल यूनिट आदि को लो–सल्फर फर्निस ऑयल (एलएसएफओ) तथा रि–लिक्वीफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) के दोहरे ईंधन के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया जिससे फिनॉल एवं एसीटोन के उत्पादन की लागत में कमी आएगी। कंपनी हाइड्रोजन पैराआक्साइड के उत्पादन की बाधाओं को भी दूर कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एचओसीएल को पुनः प्रगति के पथ पर लाने के लिए, रसायनी में उपलब्ध भूमि का उपयोग करने के लिए अन्य सरकारी कंपनियों के साथ विलय और संयुक्त उद्यम के विकल्प की संभावना भी तलाश रहा है।

8.14 एचओसीएल ने पुनरुद्धार अध्ययन के लिए मैसर्स फीडो (फैक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन) को परामर्शदाता नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने प्रारूप रिपोर्ट सौंप दी है जो कि निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात आगे विचारार्थ एवं निर्णय के लिए बीआईएफआर के पास प्रस्तुत की जाएगी।

हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड

8.15 हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है, जोकि 14.07.1983 को विनिगमित की गई थी। कंपनी पॉली–टेट्रा फ्लूरो इथाइलीन (पीटीएफई) एवं क्लोरो–डाई–फ्लूरो मिथेन (सीएफएम–22) के विनिर्माण में संलग्न है। पीटीएफई का रसायन, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक उद्योग में बहुतायत में इस्तेमाल होता है और रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में रणनीतिक अनुप्रयोग है। इसकी फैक्ट्री रूद्रराम, मेडक जिला, तेलांगना में स्थित है।

8.16 कंपनी बीआईएफआर के अधीन है। प्रचालन एजेंसी मै. आईडीबीआई के अधीन पुनर्वास पैकेज को बीआईएफआर द्वारा 03.12.2007 को अनुमोदित किया गया था और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी कर ली। कंपनी ने फ्लूरो स्पेशिएलिटी रसायन के व्यापार में लाभप्रद रूप से प्रवेश किया है और भारत में पहली बार टीएफई–ईथर जैसे फ्लूरो सपेशिएलिटी रसायन का विकास किया है तथा उन्हें सफलतापूर्वक बेच रहा है। कंपनी के सभी उत्पासदों की गुणवत्ता ग्राहकों द्वारा स्वीकार की जा रही है।

8.17 गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी का भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नानुसार था। तालिका–XVI

तालिका–XVI – एचएफएल का कार्यनिष्पादन

वर्ष	कारोबार (करोड़ रु. में)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु. में)
2009–10	20.23	3.06
2010–11	33.52	2.23
2011–12	50.33	2.52
2012–13	44.48	0.95
2013–14	31.34	(–)24.82

8.18 वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान अनंतिम एवं अलेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार कंपनी का कुल कारोबार 22.55 करोड़ रु. एवं शुद्ध लाभ 0.13 करोड़ रु. रहा।

8.19 एचएफएल ने विशेष पीटीएफई अर्थात संशोधित पीटीएफई, जहां लाभ का मार्जिन अधिक है, के विकास का कार्य शुरू किया है और कंपनी वर्तमान तंत्र कुछ संशोधनों के साथ इस उत्पाद के विनिर्माण का प्रस्ताव करता हैं। वर्तमान में, संशोधित पीटीएफई का आयात किया जाता है और इसके विविधतापूर्ण उपयोग के कारण बाजार में बहुत अधिक क्षमता है। कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाओं को प्रारंभ करने की योजना बनाई है :

तालिका– XVII : एचएफएल की प्रस्तावित परियोजनाएं

क	नवीकरण योजना
1	रेफ्रिजरेशन सिस्टम
2	फर्नेस विथ पॉयरोलिसिस कॉइल
3	फ्लूड एनर्जी ग्राइडिंग मिल
4	टीएफई कम्प्रेशर एंड वैक्यूनम/जेट पंप
5	सीएफएम कम्प्रेशर एंड एयर कम्प्रेशर
6	इंस्ट्रूमेंटेशन

ख	नई स्कीम/परियोजनाएं
1	हेक्सा फ्लूरो प्रोपिन (एचएफपी) एंड फ्लूरोनेटेड इथाइलीन प्रोपाइलिन (एफईपी) रिलेटेड इन्वेस्टोमेंट्स
2	नए रिएक्टनर सेट
3	डिबौटेलेनेकिंग ऑफ दि मोनोमर प्लांट
4	पाइलट प्लोट फॉर प्रोडक्ट डेवलेपमेंट

8.20 विभाग द्वारा कंपनी की स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए एचएफपी एवं एफईपी परियोजनाओं के नवीकरण के लिए 13.20 करोड़ रु. का योजनागत ऋण प्रदान किया गया है। इससे कंपनी को निकट भविष्य में लाभ अर्जित करने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड

8.21 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच आई एल) को डीडीटी के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए मार्च, 1954 में विनिगमित किया गया था। इस कंपनी ने 1957 में कोचीन के पास उद्योगमंडल में डीडीटी के विनिर्माण हेतु फैक्टरी स्थापित की और 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में मेलाथियान जो जन स्वास्थ्य हेतु कीटनाशक है, के विनिर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित किया। आज एचआईएल की तीन विनिर्माण इकाइयां केरल में उद्योग मंडल, महाराष्ट्र में रसायनी एवं पंजाब में भंटिडा में अवस्थित हैं।

8.22 डीडीटी जोकि पूरे कारोबार का लगभग 47–48% है, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जनित रोग निवारण कार्यक्रम में आपूर्ति की जाती है । कंपनी दूसरे देशों को भी डीडीटी की आपूर्ति करता है।

8.23 एचआईएल ने कृषि समुदाय को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण कीटनाशक की आपूर्ति के लिए सातवें दशक के उत्तरार्ध में कृषि–रसायन के क्षेत्र में विविधिकरण किया था। अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए कंपनी ने अपने व्यापार में बीज व्यापार को और जोडा है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने फसल व सब्जियों के उत्पादन व प्रमाणित बीजों के विपणन के लिए एचआईएल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। एचआईएल को एक स्थान कृषि केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जमीनी कार्य पूरा हो चुका अर्थात दो महत्वपूर्ण कृषि आदान जैसे बीज व कीटनाशक प्रदान करेगा।

8.24 गत 5 वर्षों के दौरान कंपनी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार था: तालिका–XVIII

तालिका – XVIII – एचआईएल का कार्यनिष्पादन

वर्ष	बिक्री कारोबार(रु. करोड़ में)	शुद्ध लाभ/हानि(करोड़ रु.)
2009–10	243.88	3.06
2010–11	271.04	1.58
2011–12	279.82	1.60
2012–13	301.11	2.92
2013–14	330.35	1.84

8.25 वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान अनंतिम एवं अलेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार कंपनी का कुल कारोबार 184 करोड़ रु. एवं शुद्ध लाभ 0.95 करोड़ रु. रहा ।

8.26 एचआईएल ने बुर्पोफेज़िन (टेक) के विनिर्माण सुविधा शुरू की है। इस बहु उत्पाद संयंत्र में इमिडाक्लोप्रिड के उत्पादन का परीक्षण चल रहा है और जिसमें क्लोरोपाइरीफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, एसिटमाप्रिड एवं ट्राइजोफोस के उत्पादन की सुविधा रसायनी ईकाइ में है। कोच्चि में, मैन्कोजेब

सुविधा को 1000 एमटी से बढाकर 2000 एमटी करने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

एचआईएल की नई परियोनाएं एवं प्रस्ताव

8.27 एचआईएल ने जल जनित रोगों के नियंत्रण के लिए वैकल्पिक उपाय और दीर्घकालिक कीटनाशी जाल (एलएन) के विकास की दिशा में कार्य शुरू किया है। कंपनी ने इंडोर रेसिड्यू स्प्रे के रूप में उपयोग के लिए एक नए उत्पाद के विकास के लिए ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ पहल शुरू की है। यह नया उत्पाद जल जनित रोग के नियंत्रण में एक प्रमुख कदम होगा। इसके अतिरिक्त, आईआरएस एवं एलएन जोकि जलजनित रोगों के नियंत्रण में पूरक हैं, इससे कंपनी की उपस्थिति इस क्षेत्र में और भी मजबूत होगी।

8.28 विभाग ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 4 करोड़ रु. का योजनागत ऋण प्रदान किया है:

i एचआईएल ने कोच्चि इकाई के एंडोसल्फान संयत्र के नवीकरण के द्वारा खर पतवार के नाश के लिए उपयोग में आने वाले बहुआयामी ग्लाइफोसेट (टेक) के विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है। कंपनी मौजूदा संचालित संयत्र द्वारा उत्पादित डिकोफोल को उच्च स्वच्छता वाले डिकोफोल को कोच्चि इकाई में विनिर्मित करने की योजना बना रहा है। डिकोफोल एक दीमकनाशक है जो रेड स्पाइडर दीमक के मामले में बहुत प्रभावी है।

ii. भटिंडा इकाई में, कंपनी सस्पेंशन कन्सनट्रेट (एससी) फॉर्मूलेशन प्लांट स्थापित करना चाहता है और बुर्पोफेज़िन (टेक) संयत्र शुरू कर दिया है।

iii. रसायनी इकाई में, मौजूदा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो कि अच्छी स्थिति में नहीं है और जीर्ण हो गया है, को बदलने की योजना बन रही है। इस संयत्र में कार्यशील लागत को बचाने के लिए लोड के आधार पर संचालित किये जा सकने के लिए एक ही क्षमता के मल्टी सेल व्यवस्था होगी।

8.29 कंपनी को पेंडीमेथियन जो कि एक हर्बिसाइड है और इसका उपयोग पोषक, जल एवं प्रकाश द्वारा कृषि और हार्टिकल्चर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता के विकास और वृद्धि के लिए वार्षिक खर पतवार और पौधे पत्ते वाले घास के नियंत्रण के लिए फसल पूर्व और फसल उपरांत उपयोग किया जाता है, के विनिर्माण के लिए 11 करोड़ : का योजनागत ऋण प्रदान किया गया है। भारत में हर्बिसाइड की बढ़ती मांग को देखते हुए, इस विविधीकरण से कंपनी एक उभरते रुझान की ओर कदम बढ़ागा।

***

अध्याय–9

स्वायत्तशासी संस्थान

सेन्ट्रल इंस्टीट्यट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी(सिपेट)

9.1 केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) आईएसओ 9001:008 क्यूएमएस, एनएबीएल, आईएसओ/आईईसी 17020 एक्रीडिशन देश में पॉलिमर और इससे जुड़े उद्योगों के विकास के लिए शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी सहायता और अनुसंधान (एटीआर) संबंधी सभी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रति समर्पित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाान है। सिपेट देश भर में फैले 23 स्थानों से परिचालन करता है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये केन्द्र हैं :

तालिका–IXX : सिपेट के केंद्र

5 उच्च स्तरीय शिक्षण केंद्र : ➢ चेन्नई ➢ अहमदाबाद ➢ भुवनेश्वर ➢ लखनऊ ➢ कोच्चि	**11 पारंपरिक शिक्षण केन्द्र :** ➢ अमृतसर ➢ औरंगाबाद ➢ भोपाल ➢ गुवाहाटी ➢ हैदराबाद ➢ हाजीपुर ➢ हल्दिया ➢ जयपुर ➢ इम्फाल ➢ मैसूर ➢ मूरथल
2 आरएंडडी विंग : ➢ एडवांस रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिम्यूलेशन (एआरएसटीपीएस), चेन्नई ➢ लेबोरेटरी फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलिमेरिक मेटेरियल (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर, एलएआरपीएम	
3 विशेष यूनिट : ➢ एडवांस्ड टूलिंग एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (एटीपीडीसी), मदुरई ➢ एडवांस्ड प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सेंटर (एपीपीटीसी), बालासोर ➢ प्लीस्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, गुवाहाटी	1 पॉलीमर डाटा सर्विस सैन्टर (पीडीएस); आईपीएफटी कैंपस, गुड़गांव 1 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर: एमसीटीआई कैंपस, भुवनेश्वर

- सभी सिपेट शिक्षण एवं विशेष केंद्रों में प्लास्टिक एवं संबंधित उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन–कैड/कैम/सीएई, टूलिंग एवं मोल्डिंग विनिर्माण, प्लास्टिक प्रोसेसिंग एवं टेस्टिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में अद्यतन अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हैं।

9.2 शैक्षणिक कार्यक्रम

9.2.1 दीर्घकालिक कार्यक्रम

सिपेट 12 विभिन्न दीर्घकालिक कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट एवं पीएचडी, आयोजित करता है। संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न दीर्घकालिक कार्यक्रम और चालू वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में नामाकित छात्रों का विवरण निम्नानुसार हैं–

तालिका–XX : दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	छात्रों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (डीपीटी)	3 वर्ष	1370
2.	डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी (डीएमपीटी)	3 वर्ष	1474
3.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाईन सीएडी/सीएएम के साथ	1.5 वर्ष	112
4.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग (पीजीडी–पीपीटी)	1.5 वर्ष	1402
5.	बी.टेक (प्लास्टिक इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी)	4 वर्ष	231
6.	बी.ई/बी.टेक (मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी)	4 वर्ष	221
7.	एम.टेक (प्लास्टिक इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी)	2 वर्ष	46
8.	एम.टेक (पॉलीमर नैनोटेक्नोलॉजी)	2 वर्ष	18
9.	एम.ई. (सीएडी/सीएएम)	2 वर्ष	15
10.	एम.एस.सी (बायो पॉलीमर साइंस)	2 वर्ष	24
11.	एम.एस.सी (पॉलीमर साइंस)	2 वर्ष	37
12.	एम.एस.सी (टेक.) इन मैटेरियल साइंस इंजीनियरिंग	5 वर्ष	17

9.2.2 पांच ख्याति प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से उच्च शिक्षण केंद्रों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

9.2.3 सिपेट के दस केंद्रों जैसे हल्दिया, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुरथल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ औरंगाबाद एवं अमृतसर में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग 8500 छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

9.2.4 वर्ष 2014–15 में, 12,629 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जबकि वर्ष 2013–14 में, 11,494 प्रतिभागी थे।

9.3 अल्पकालिक एवं रोजगार उन्नमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.3.1 सिपेट पॉलीमर साइंस एण्ड टेक्नोलोजी के क्षेत्र में प्लास्टिक तथा सहयोगी उद्योग के तकनीकी कामगारों के लिए कुशलता तथा दक्षता में सुधार के लिए अतिविशिष्ट एवं आवश्यकता अनुकूल

अल्पकालिक कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2013–14 में, सिपेट ने 39040 प्रतिभागियों को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जबकि लक्ष्यो 39000 छात्रों का था। वर्ष 2014–15 के दौरान, 42,900 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए सिपेट प्रतिबद्ध है।

9.3.2 चालू वर्ष के दौरान, सिपेट बेरोजगार/अर्द्धबेरोजगार युवाओं के लाभार्थ पॉलिमर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के कुशलता प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे सरकारी विभागों/एजेंसियों जैसे पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, सामाजिक न्यायय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अजा/अजजा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग आदि प्रायोजित करते हैं, के अंतर्गत 4301 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कुशलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विभिन्न निजी उद्योग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में सिपेट ने 5094 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

9.4 प्रौद्योगिकी सहयोग सेवा

औद्योगिक परियोजनाएं

9.4.1 सिपेट प्लास्टिक एवं सहयोगी उद्योग को सहयोग एवं विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य के जरिए प्रौद्योगिकी सहयोग सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2014–15 (नवम्बर, 2014 तक) के दौरान, सिपेट केंद्रों द्वारा 18620 प्रौद्योगिकी सहयोग सेवाएं प्रदान की गई जिसमें सामान्य कार्य, मोल्डं ऑडर, परीक्षण कार्य, परामर्श सेवाएं शामिल हैं। सिपेट द्वारा किये गए प्रमुख कार्यों में निम्नेलिखित विकास कार्य शामिल हैः–

- सिपेट, जयपुर केंद द्वारा मैसर्स सनटैक इडंस्ट्रीज के लिए सोलर बैटरी कंटेनर
- सिपेट, जयपुर केंद्र द्वारा मैसर्स रिलायबल प्यौडर एक्वाल सिस्टम प्रा. लि. के लिए वाटर आरओ टैंक
- सिपेट, जयपुर द्वारा मैसर्स पारूल टैक्नोकैम के लिए मीटर टॉप एवं बॉटम तथा मोल्ड
- सिपेट, मुरथल द्वारा मैसर्स बजाज इन्जीनियर एंड कन्सलटैंट कंपनी, बहादुरगढ़, हरियाणा के लिए रायफल की बट।
- सिपेट, ओरंगाबाद द्वारा मैसर्स विश्वास मोल्डीर प्रा. लि. के लिए सीपीटी ब्रैकेट
- सिपेट, ओरंगाबाद द्वारा मैसर्स क्राफ्ट क्रियेशन के लिए इम्प्रेशन इन्जेक्शन मोल्ड।
- सिपेट, ओरंगाबाद द्वारा मैसर्स एचएमटी लि. के लिए फूट प्रोसेसिंग पम्प पार्ट एवं नोजिल।
- सिपेट, हैदराबाद द्वारा मैसर्स ऊर्जा एनर्जी इंजीनियरिंग सिर्विसेस लि. के लिए यू–क्लिप कम्पोनेंट के लिए 16 एम्प्रेशिन इन्जेक्शन मोल्ड।
- सिपेट, हैदराबाद द्वारा मैसर्स ईसीआईएल के मोटर लिड के लिए इन्जेक्शन मोल्ड
- सिपेट, भुवनेश्वर द्वारा मैसर्स क्रेजी इन्डस्ट्रीज के 50 एमएल बोटल और आधा लीटर स्क्वायर बोटल के लिए ब्लोक मोल्ड
- सिपेट, मदुरई द्वारा मैसर्स मेगा प्लास्ट इन्डस्ट्रीज, आरूपुकोटई के लिए ब्लो मोल्ड ।
- सिपेट, मदुरई द्वारा मैसर्स सनटैक इडंस्ट्रीज के लिए सोलर बैटरी कंटेनर का डिजाइन एवं विकास।
- सिपेट, मदुरई केंद्र द्वारा मैसर्स रिलायबल प्यौर एक्वा सिस्टम प्रा. लि. के लिए वाटर आरओ टैंक
- सिपेट, मदुरई द्वारा मैसर्स पारूल टैक्नोकैम्प के लिए मीटर टॉप एवं बॉटम तथा मोल्ड
- सिपेट, मदुरई द्वारा मैसर्स रिचा केबल्स के लिए 19, 20 एवं 25 नम्बर के 3 बिन्दु वाले इलैक्ट्रिक जक्शन बॉक्स।

9.4.2 वर्ष के दौरान देश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों एवं सरकारी संगठनों से 18 हजार डिलिवरी पूर्व निरीक्षण से संबंधित कार्य प्राप्त हुए ।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (एमओयू)

9.4.3 नौसेना के उपयोग के लिए पोर्टबल इलैक्ट्रोनिक एवं प्रेशर सैंसर के लिए कन्डक्टिव हाउसिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि. (बेल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

9.4.4 हवाई जहाज के उपकरणों को देश में बनाने और सहयोगी अनुसंधान के लिए हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लि. (एचएएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ।

पॉलिमर डाटा सर्विस (पीडीएस) :

9.4.5 डाटाबेस के साथ जोड़कर पॉलीमर उद्योग की वृद्धि को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से सिपेट ने ''पॉलीमर डाटा सेवा (पीडीएस)'' स्थापित किया है । पीडीएस सेवा में डाटाबेस का सृजन, तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर), ईडीपी/एफडीपी प्रशिक्षण सुविधा, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार तथा अनुसंधान व विकास गतिविधि को सहयोग आदि शामिल हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान पीडीएस की गतिविधियां निम्नांनुसार थीं :–

- पीडीएस वेब पोटल के साथ लगभग 2000 पॉलिमर उद्योग पंजीकृत किए गए हैं । पंजीकृत आंकड़े सामान्य जनता के लिए उपलब्ध होंगे।
- सिपेट के चेन्नई, गुड़गांव, ओरंगाबाद एवं मैसूर केंद्रों के कर्मचारियों के लिए 5 एस, 6 सिग्मा एवं काईजन संबंधी फैकल्टी विकास कार्यक्रम(एफडीपी) से संबंधित 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- पीडीएस ने प्लास्टिक संबंधी क्षेत्रीय समिति (पीसीडी 12 एवं पीसीडी 27) की भारतीय मानक ब्यौरो (बीआईएस) के साथ पीडीएस– गुड़गांव में बैठक का समन्वय किया । सिपेट के संकाय एवं प्लास्टिक तथा संबंधित उद्योग और प्लास्टिक संघों के प्रतिनिधियों ने बीआईईएस के साथ इस बैठक में वीडियों कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से भाग लिया ।
- पीडीएस ने गुड़गांव एवं चेन्नई में ''आईएसओ/आईईसी–17025 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं आंतरिक लेखांकन'' विषय पर 2 चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

9.5.1 सिपेट के दो समर्पित आर एंड डी विंग बायोपॉलिमर, फियोलसेल, ई–वेस्ट रिसाइकलिंग, नैनो कंपोसिट, पॉलिमर ब्लैंड कार्बन नैनो–ट्यूबस एवं डिजाइन तथा माड़लिंग के क्षेत्र में गहनता से कार्य कर रहे हैं ।

9.5.2 सिपेट ने चालू वर्ष के दौरान, चार पेटेन्टो/पुस्तक (अध्याय) अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के माध्यम से दायर/प्रकाशित किए हैं । 27 अनुसंधान पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हैं । 9 अनुसंधान पत्र अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए हैं ।

9.6 सम्मेंलन/सेमिनार/प्रदर्शनी

9.6.1 "पॉलीमरिक सामग्री में उन्नयन" विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्रृंखला में छटा सम्मेलन एपीएम 2015 20 से 22 फरवरी, 2015 तक के दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरू में "बहुद्देश्य सामग्री के साथ अभिनव उत्पादन एवं डिजाइन एवं विकास की ओर अग्रसर" विषय पर आयोजित किया गया । इस सम्मेलन का आयोजन सिपेट के आरएडंडी शाखा के एडवांस रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट/सिम्यूलेशन (एआरएसटीपीएस) ने भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु एवं केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), बंगलुरु के साथ मिलकर किया था।

9.6.2 यह सम्मलेन उन्नत सामग्री, डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, स्वचालन एवं उपकरण विनिर्माण विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

9.6.3 इस सम्मलेन में विश्व भर से लगभग 700 वैज्ञानिको, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों एवं अनुसन्धान कर्ता भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य नए विचारों और प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए शिक्षाविदों और उद्योग के बीच सेतु का काम करेगा।

9.6.4 श्री अनंत कुमार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने इंटरनेशनल प्लास्टिक्स एक्सपोज़िशन (आईपीएलईएक्स) 2014 के 5 वें संस्करण का हैदराबाद में 8–11 अगस्त , 2014 को उद्घाटन किया। 50000 से अधिक आगंतुक इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में पधारे।

श्री अनंत कुमार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री इंटरनेशनल प्लास्टिक्स एक्सपोज़िशन (आईपीएलईएक्स) 2014 के 5 वें संस्करण का हैदराबाद में 8 अगस्त, 2014 को उद्घाटन करते हुए

9.6.5 जैव पॉलिमर विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (सीबीपीएसटी), कोच्वि ने जैव पॉलिमर एवं ग्रीन कम्पोसिट्स पर राष्ट्रीय सेमिनार (बीपीघेसी 2014) का आयोजन 14 नवम्बर, 2014 को किया । इस सेमिनार का लक्ष्य जैव पॉलिमर एवं हरित कम्पोज़िट्स के क्षेत्र में नए विकास, अनुप्रयोग, रुझान और नवीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था।

9.6.6 उद्योग में मानव संसाधन और कुशल जनशक्ति संबंधित मुद्दों के मूल्यांकन के लिए मंत्री, रसायन एवं उर्वरक ने सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन की अध्यक्षता में सितम्बर 2014 में एक समन्वय समिति का गठन किया । समिति और इसके उपसमूह ने उद्योग संघों के साथ बैठकें की और अपनी रिपोर्ट विभाग को सौप दी । रिपोर्ट में अगले दस वर्षों में प्रचालन और निरीक्षण के विभिन्न स्ट्रीम और विभिन्न प्रसंस्करण संकायों में लगभग 11 लाख जनशक्ति की आवश्यकता का अनुमान प्रदान किया है जो कि प्लास्टिक क्षेत्र में कौशल विकास अवसंरचना और सुविधा की योजना तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री सुरजीत के. चौधरी, सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग 'पेट्रोरसायन क्षेत्र में मानव संसाधन एवं जन शक्ति आवश्यकता' विषय पर समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए

9.7.1 सिपेट को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 155 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया था। इस वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व व्यय बिना मूल्यह्रास के 118. 92 करोड़ रुपए और मूल्य ह्रास के साथ 140 .00 रुपए निर्धारित किए गए थे । 2013–14 वर्ष के लिए, 140. 07 करोड़ रूपये का राजस्व व्यय मूल्य ह्रास और मूल्य ह्रास के साथ 124 . 68 करोड़ रुपए था।

9.8 प्रमुख घटनाएं

9.8.1 मंत्री, रसायन एवं उर्वरक की अध्यक्षता में रसायन एवं पेट्रो रसायन उद्योग संघो के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक 6 सितम्बर, 2014 को आयोजित किया गया था। इस बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों (एमएसएमई) और वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में उद्योग से सम्बंधित विभिन्न मुद्दे जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन/कुशल जनशक्ति की भर्ती से सम्बंधित मुद्दो पर उद्योग की भागीदारी और तैयारी पर चर्चा हुई।

9.8.2 सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्ल्यूएमसी) सिपेट, गुवाहाटी, असम का 17.10.2014 को दौरा किया और प्लास्टिक अपशिष्ट से ईंधन संयत्र का उदघाटन किया।

श्री अनंत कुमार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मुंबई में 6 सितम्बर, 2014 को उद्योग संघों के साथ संवाद करते हुए

9.8.3 "नेतृत्व एवं प्रेरणा" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन लवासा, महाराष्ट्र में 15 से 17 जनवरी, 2014 तक आयोजित किया गया। रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पीएसयू और संस्थान के शीर्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

9.8.4 रसायन एवं उर्वरक मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने सिपेट केंद्र, मुरथल, हरियाणा के छात्र एवं छात्रा के लिए छात्रावास की आधारशिला 20.01.2015 को रखी।

लवासा में 'नेतृत्व एवं प्रेरणा' विषय पर कार्यशाला की झलकियां

9.9 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ परिसंवाद

9.9.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग एवं सिपेट से एक शिष्टमंडल ने मास्को का दौरा 15 से 22 जून, 2014 के दौरान किया और एम.वी. लोनोनोसोव मास्को स्टेट विश्वविद्यालय, मॉस्को, रूस एवं सिपेट के बीच 20 जून, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परस्पर सहयोग से अनुसन्धान कार्यक्रम और छात्र विनिमय को बढ़ावा देना है।

एम.वी. लोनोनोसोव मास्को स्टेट विश्वविद्यालय, मॉस्को, रूस एवं सिपेट के बीच 20 जून, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया

कीटनाशक सूत्रयोग प्रौद्योगिकी संस्थान(आईपीएफटी)

लक्ष्य एवं उद्देश्य

9.10.1 संस्थान को रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मई, 1991 में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थामपित किया गया था:

- पर्यावरण अनुकूल नए कीटनाशक फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी का विकास एवं उत्पादन।
- नए फार्मूलेशनों के मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष अनुप्रयोग टेक्नोलॉजी का संवर्धन।
- सुरक्षित विनिर्माण परंपरा, गुणवत्ता आश्वासन, कच्ची सामग्री मानकीकरण एवं स्त्रोत से संबंधित जानकारी का आदान–प्रदान।
- कृषि रसायन विनिर्माताओं एवं उपयोगकर्त्ताओं के लिए विश्लेषणात्मक एवं परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करना।
- विशेषीकृत प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा के माध्यम से कीटनाशी वैज्ञानिकों की योग्यता एवं उपयोगिता में सुधारात्मक कदम उठाना।
- आईपीएफटी ने स्थापना के समय से ही पेस्टीसाइड उद्योगों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं और यह देश में अत्यंत प्रभावी, आर्थिक एवं पर्यावरण अनुकूल फॉर्मूलेशन समाधान द्वारा घरेलू कीटनाशक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में योगदान किया है। कुछ फॉर्मूलेशन का नई पीढ़ी के कीटनाशक के उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी अंतरण हुआ है।

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

9.10.2 आईपीएफटी कीटनाशक व सीडब्ल्यूसी संबंधी रसायनों के विश्लेषण के लिए आईएसओ – 17025 (2005) के अनुसार नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरटीस (एनएबीएल) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला है।

9.10.3 सहयोगी अनुसंधान कार्य के लिए हायर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ लोम (एचएसएध्यूएल), टैगो के साथ मई, 2014 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

9.10.4 आईपीएफटी ने 'विश्लेषणात्मक रसायन में पोस्टप ग्रेजुएट डिप्लोरमा (पीजीडीएसी)' के लिए इग्नू' कार्यक्रम के लिए आईपीएफटी, गुड़गांव में अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव 25.7.2014 को प्रस्तुत किया।

9.10.5 तरल कीटनाशक क्लोरफाइरिफस का ठोस डब्ल्यू डीजी फॉर्मूलेशन सफलतापूर्वक विकसित किया गया। पेटेण्ट दायर किया गया है।

9.10.6 दो हर्बीसाइड के लिए जल आधारित माइक्रोइमल्सन कॉम्बीलनेशन फॉर्मूलेशन सफलतापूर्वक विकसित किया गया। पेटेण्ट दायर करने का कार्य जारी है।

9.10.7 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न लिखित 5 परियोजनाओं के लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की संस्तुति प्राप्त हुई है। इन परियोजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है :

- उपयोगकर्त्ता एवं पर्यावरण अनुकूल जल में घुलनशील अति–विषैले दानेदार फॉर्मूलेशन, बहु उपयोगी एवं प्रभावी कीटनाशक का विकास ताकि उनके विषैलेपन को कम किया जा सके और उन्हें प्रतिबंधित होने से बचाया जा सके और उनका उपयोग जारी रहे।

- बैकलोवाइरस का भारी मात्रा में उत्पादन तकनीक एवं फॉर्मूलेशन का विकास।

- समेकित अप्रोच एवं घरेलू तकनीक से दीमक का प्रबंधन।

- गैस/लिक्विड क्रोमोटोग्राफी के साथ मैग्नेटिक कोर सेल नैनोपार्टिकल आधारित एक्सगट्रैक्सवन–कीटनाशकों के ट्रेस लेवल विश्लेषण के लिए टैंडम मास स्पेक्ट्रोमीटरी।

- प्लांमट एक्स्ट्रक्स एवं उनके जैव–प्रभाविकता अध्ययन से पेस्टीसाइड सूत्रयोग।

9.10.8 उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त– आईपीएफटी अन्य फंडिंग एजेंसियों द्वारा निम्नालिखित अनुमोदित प्रायोजित परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है:

- भारतीय कीटनाशक उद्योग से निकलने वाले विषैले अपशिष्ट के शोधन के लिए पुनःचक्रित उत्प्रेरक प्रणाली पर आधारित नैनो पार्टिकल्सन एवं नैनो पार्टिकूलेट एसेम्बकली का विकास (ओपीसीडब्ल्यू द्वारा प्रायोजित)।

- खरीफ फसल में ट्रायनथेमा पॉर्टूलेकास्ट्रम एल. खर–पतवार की रोकथाम के लिए माइकोहर्बीसाइड के रूप में गिबैगो ट्रायनथेमा फॉर्मूलेशन का विकास एवं प्रयोग। पैथोजेनेसिटी परीक्षण पूरा हो गया है और पैथोजन का बड़े पैमाने पर परीक्षण जारी है (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित)।

- विभिन्न फसलों पर कीटनाशक अवशेष की निगरानी (आईसीएआर, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)।

- सैनिक वर्दी पोशाक एवं पेन्ट को रोगमुक्त करने के लिए नैनो–टेक्नोलॉजी आधारित कीटनाशक फॉर्मूलेशन का विकास एवं मूल्यांकन (डीआरडीओ द्वारा प्रायोजित)।

9.10.9 आईपीएफटी को अप्रैल 2014 से दिसम्बर, 2014 के दौरान जैव प्रभाविकता एवं विषास्कता के संबंध में आंकड़े के सृजन के लिए भारतीय कृषि रसायन उद्योग द्वारा प्रायोजित कुल 86 नई परियोजनाएं प्राप्ति हुईं। आईपीएफटी ने उपयोगकर्ता एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के विकास के लिए दो अलग परियोजनाओं जो कि हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि. एवं लैम्ब्रेटी हाइरोक्लोराइड लि. द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं पर भी कार्य किया है। आईपीएफटी ने दो कृषि रसायन कंपनियां जैसे रसायन के लिए 10 परियोजनाएं एवं कृषि रसायन के लिए दो अलग परियोजनाओं पर अवशेष विषलेशण से संबंधित कार्य पूरा किया है। विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रस्तुत 239 प्रतिदर्शों पर पार्टिकल के आकार के संवितरण से संबंधित अनुसंधान कार्य भी पूरा किया है।

शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिणाम

9.10.10 आईपीएफटी ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में 5 पत्र प्रकाशित किए। देशभर में 7 विभिन्न सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुत किए गए। आईपीएफटी के वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया और वर्ष भर में आईपीएफटी वैज्ञानिकों द्वारा वार्ता एवं भाषण दिए गए। आईपीएफटी वैज्ञानिकों ने अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसी तरह, संस्थान में 2 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

राजस्वी राजस्व

9.10.11 अप्रैल से दिसम्बर, 2014 के दौरान, आईपीएफटी को 109.93 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

***

अध्याय – 10

संवर्धनात्माक गतिविधियां एवं प्रमुख कार्यक्रम

इंडिया–केम 2014

10.1 भारतीय रसायन उद्योग को संवर्धित करने के लिए भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) संयक्त रूप से प्रत्येक दूसरे वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला "इंडिया केम" का आयोजन करता है। ये कार्यक्रम भारतीय रसायन उद्योग को अपनी क्षमताओं एवं संभावनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को परिचित कराने का मंच प्रदान करता है। रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी में भारतीय उद्योग को अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास की जानकारी प्रदान होती है।

10.2 इंडिया केम–अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन 9–11 अक्टूबर, 2014 तक मुम्बई में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य "भारतीय रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग में विकास की गति" था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अनंत कुमार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने 9 अक्टूबर, 2014 को मुंबई में किया जिसमें महामहिम धोलामेजा अंसारी, भारत में इस्लाकमिक गणराज्य ईरान के राजदूत, श्रीसुरजीत के चौधरी, सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, श्री योशिहीरो उमेहा, बोर्ड के सदस्य एवं प्रबंध एक्यूटिव अधिकारी, मिन्सुबिनी केमिकल कारपोरेशन, श्री निखिल मेशवानी, कार्यकारी निदेशक, रसायन इंडस्ट्रीज लि. एवं उद्योग के अग्रणी व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री अनंत कुमार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री इंडिया केम–अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन के 8वें संस्कारण का 9 अक्टूबर, 2014 को मुम्बई में उद्घाटन करते हुए

10.3 रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने अपने उद्घाटन संबोधन में भारतीय रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग में विकास को गति देने के लिए पर्यावरणाकूल एवं धारणीय उपाय अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने फीडस्टॉक की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों में एसइजेड स्थापित करने की संभावना तलाशने पर भी जोर दिया और इस अवसर पर रसायन एवं पेट्रोरसायन पर हैंडबुक भी जारी किया।

10.4 ईरान ने भागीदार देश एवं जापान ने फोकस देश के रूप में हिस्सा लिया। भागीदार राज्य गुजरात था। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिसा एवं तेलांगना राज्यों के पेवेलियन भी स्थापित किये गये थे। इस प्रदर्शनी में जर्मनी, यू.के., सिंगापुर, यूएई, चीन, वियतनाम, तुर्की, ईरान, जापान, यूएसए जैसे 12 देशों से 144 अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों सहित 270 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में 15000 से अधिक व्यापारिक अगंतुकों ने भाग लिया।

10.5 इंडिया केम के समानांतर आयोजित कार्यक्रम :

इंडिया केम 2014 के समानांतर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

- भारतीय रसायन परिषद (आईसीसी) द्वारा विदेशी उद्योग मंचों को एक सम्मेलन आयोजित किया जिसका विषय "जिम्मेरदार देखरेख एवं सुरक्षा कोड" था। इस सम्मेलन में इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस सम्मेलन में 11 देशों की 40 शिष्टामंडलों ने हिस्सा लिया।

- रसायन, डाई, कीटनाशक एवं आवश्यक तेल आदि के निर्यात को संवर्द्धित करने के उद्देश्य में कैमएक्साईज द्वारा रिवर्स रसायन क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की गई। 22 देशों जैसे जोर्डन, मिश्र, इजराइल, लेबनान, इथोपिया, केनिया, नाइजिरिया, घाना, यूंगाड़ा, तंजानिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्राजील से 60 अन्तर्राष्ट्रीय क्रेताओं ने इसमें हिस्सा लिया।

- "भारतीय रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र" विषय पर एक सीईओ सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय उद्योग की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों एवं सरकारी कार्यालयों में तेजी से उन्नोति प्राप्ते करने के लिए नए उपायों पर मंत्री एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग के 42 अग्रणी व्यक्तियों के बीच परस्पर संवाद के लिए बैठक का आयोजन हुआ।

- इस क्षेत्र में सततता एवं नवोन्मेषण से प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया केम 2014 में "फिक्की व रसायन एवं पेट्रोरसायन पुरस्कार स्कीम" के अंतर्गत 21 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।

- सम्मेलन में 8 सत्र आयोजित किए गए जिसमें इस क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे 'मेक इन इंडिया', कृषि रसायन, अवसरंचना, पीसीपीआईआर, विनियामक एवं व्यापार बाधांए, ग्रीन प्रौद्योगिकी आदि पर चर्चा की गई।

सम्मेलन/सेमिनार

10.6 भारतीय रसायन उद्योग के विकास को संवर्द्धित करने के लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष उद्योग मंचों जैसे आईसीसी, सीआईआई, फिक्की, डीएमएआई, एएमएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/सम्मेलनों/सेमिनारों को समर्थन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त विभाग ने इन उद्योग मंचों की मदद से रसायन सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थय के एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करता है। रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस) द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए संगठनों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। 1.4.2014 से 31.12.2014 तक के दौरान, 27 कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

10.7 विभाग ने वर्ष 2014–15 के दौरान, प्लास्टिक के पुर्नचक्रण गुणों के सकारात्मक पहलुओं के संबंध में सवंर्धनात्मक कार्यक्रमों पर तकनीकी सेमिनार 6 विभिन्न स्थानों पर आयोजित करने के लिए सिपेट से 49.50 लाख रूपये की राशि अनुमोदित की। सिपेट ने तीन सेमिनार विजयवाड़ा में 28 अगस्त, 2014 सिरसी(कर्नाटक) में एलएकेई– 2014 के साथ 13–15 नवम्बंर, 2014 को आयोजित किया। विभिन्न स्टेकधारकों गैसे स्थानीय नगर निगम, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, उद्योग मंच के अधिकारी पात्र आदि ने इन सेमिनारों में हिस्सा लिया।

10.8 फेडरेशन ऑफ चौंबर्स एण्ड कार्मस एंड इंडस्ट्री (फिक्कीज) के सहयोग से विभाग ने "उत्तर भारत में डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक की संभावना–प्लास्टिक कल्चर एवं माइक्रो इरिजेशन पर विशेष ध्यान" विषय पर 24 जून, 2014 को चंडीगढ़ में एवं "प्लास्टिक उद्योग के लिए नए आयाम" पर राष्ट्रीय सम्मेलन 8–9 दिसम्बर, 2014 को फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली' में आयोजित किया।

10.9 विभाग ने पॉलिमर से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन "एशियन पॉलिमर अशोसिएशन– 2014 शारजाह में प्लास्टिक विजन अरेविया, संघाई में चाइनाक्लास– 2014, हैदाराबाद में आईप्लेक्स 2014, गांधीनगर, गुजरात में 5–10 फरवरी, 2015 को प्लास्ट इंडिया– 2015 जैसे व्यापारिक मंचों/प्रदर्शिनयों को भी सहयोग प्रदान किया।

***

अध्याय – 11

सामान्य प्रशासन

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

11.1 विभाग का मुख्य कार्य रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगों के लिए नीति बनाना, क्षेत्रीय आयोजना, संवर्धन तथा विकास करना है। विभिन्न प्रकार के रसायन और पेट्रोरसायन मदों के निर्माण में सलंग्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं का प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण भी विभाग का प्रमुख कार्य है।

11.2 सचिव, भारत सरकार, विभाग के प्रमुख हैं और उनकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव एवं वित्त सलाहकार, दो संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार एवं एक उप–महानिदेशक है (संगठन चार्ट अनुबंध में दिया गया है)।

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजातियों/शारीरिक रूप से विकलांगों को रोजगार

11.3 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांगों के रोजगार की स्थिति 31.12.2014 के अनुसार निम्न तालिका में दी गई है:–

समूह	पदों की कुल सं.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	शारीरिक रूप से विकलांग
क	35	5	–	1
ख	69	5	2	1
ग	78	20	3	1
कुल	182	31	5	3

11.4 समूह 'क' के अधिकारियों में केंद्रीय सचिवालय से संबंधित अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी और विभाग के तकनीकी संवर्ग के अधिकारी शामिल हैं। समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राजभाषा विभाग एवं सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किये गए नामांकनों के आधार पर की जाती है।

अभिलेख प्रबंधन

11.5 केन्द्र सरकार के सरकारी रिकार्डों का प्रबंधन, प्रशासन तथा संरक्षण करने के लिए संसद ने सार्वजनिक रिकार्ड अधिनियम, 1993 नामक अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए केन्द्र सरकार ने नियम भी बनाए हैं। अधिनियम की धारा 6(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सामान्य प्रशासन के प्रभारी अवर सचिव को विभाग में रिकार्ड अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। विभाग द्वारा उद्योग भवन में एक आधुनिक अभिलेख कक्ष की स्थापना की गई है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

11.6 सरकार की राजभाषा नीति पर संविधानिक प्रावधानों और राष्ट्रपति के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यलयों से हिन्दी अनुभाग हैं। आर्थिक सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन में हिन्दी अनुभाग के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और निदेशक हैं।

11.7 विभाग में हिन्दी पखवाड़े का 15 से 30 सितम्बर, 2014 तक आयोजन किया गया। इस अवधि में, हिन्दी निबंध, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, टिप्पण एवं आलेखन, अनुवाद और हिन्दी कविता पाठ की सात प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। केवल समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए एक टिप्पण/आलेखन प्रतियोगित भी आयोजित की गई।

11.8 आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें दिनांक 9 जुलाई, 2014, 10 सितम्बर 2014 और 26 नवम्बर, 2014 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और आगे सुधार के लिए सुझाव दिये गए और उनका अनुसरण किया गया।

11.9 वर्ष 2014–15 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप–समिति ने विभाग के निम्न. लिखित कार्यालयों का निरीक्षण किया :

- सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मैसूर– 16.01.2015
- सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर– 06.02.2015

संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप–समिति की मैसूर में 16.01.2015 की बैठक

11.10 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट, कार्य–निष्पादन बजट, अनुदान मांगें, संसद प्रश्न, आश्वासन, जैसे दस्तावेज अंग्रेजी तथा हिन्दी में जारी किए गए। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के आधार पर हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गए। राजभाषा विभाग द्वारा तैयार वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने प्रयास किए गए हैं।

11.11 वर्ष के दौरान विभिन्न अनुभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टें संकलित की गईं और ऑनलाइन डाटाबेस में शामिल कराने के लिए राजभाषा विभाग को भेजी गईं। संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त रिर्पोटों की समीक्षा की गई।

सतर्कता संगठन की गतिविधियां

11.12 विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) पद स्थापित हैं, जो विभाग के कर्मचारियों एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं संगठनों के बोर्ड स्तंर के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच करते हैं। निदेशक, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी एवं सतर्कता अनुभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की सहायता करते हैं।

11.13 27 अक्टूबर, 2014 से 01 नवम्बतर, 2014 की अवधि के दौरान 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' आयोजित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी पीएसयूज एवं स्वोयततशासी निकायों में भी सीवीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया गया।

11.14 एक समर्थक के रूप में भ्रष्टाचार का विरोध करना– प्रौद्योगिकी' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला 18 नवम्बार, 2014 को आयोजित की गई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के एक विशेषज्ञ ने विषय पर एक व्याख्यान दिया। विभाग के मुख्यक सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) ने हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड(एचआईएल), सेन्ट्रील इंस्टीसट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीपेट) के सीवीओ और विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यशाला में भाग लिया।

शिकायत प्रकोष्ठ

11.15 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में एक शिकायत प्रकोष्ठि स्थापित है यह प्रकोष्ठ इस विभाग से संबंधित सभी शिकायतों की निगरानी कर रहा है।

11.16 ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था, लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) 01 अगस्त, 2005 से लागू की गई है। विभाग की वेबसाइट के घरेलू पृष्ठ पर एक लिंक की व्यवस्था की गई है ताकि रसायन और पेट्रोरसायन के विभाग के अन्तर्गत संस्थाओं/संगठनों की वेबसाइट और पीजीआरएएमएस तक पहुंचा जा सके। यह शिकायत कक्ष आम लोगों की शिकायतों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की वेबसाइट और इसके नियंत्रण के अधीन संस्थानों/संगठनों की वेबसाइटों पर सूचनाएं नियमित रूप से अपलोड की जाती हैं।

लिंग समता

11.17 कार्य स्थलों पर महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट कतिपय दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। समिति जून, 2002 से कार्यरत है। वर्तमान में आर्थिक सलाहकार समिति की अध्यक्ष हैं।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

11.18 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए समुचित पदों को चिन्हित किया गया है।

11.19 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग समूह 'क' में 6 तकनीकी पदों, समूह 'ग' में स्टाफ कार चालकों के 5 पदों, वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर के 2 पदों और डिस्पैच राइडर का 1 पद तथा एमटीएस के 48 पदों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है।

11.20 विकलांग व्यक्तियों के लिए भौतिक अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं तथा सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित की जाती है। विभाग का सूचना एवं सुविधा केन्द्र विशेष रूप से शास्त्री भवन के भू–तल पर स्थापित किया गया है ताकि ऐसे व्यक्तियों के लिए आसानी एवं बाधारहित पहुँच सुनिश्चित हो सके। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं, यदि कोई हो, को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

सूचना का अधिकार

11.21 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अनुसार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित संगत जानकारी वेबसाइट पर इस रूप में उपलब्ध करा दी गई है जो आम लोगों की सहज पहुंच में हो और समझी जा सके। इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। विभाग में केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) जनता एवं सूचना का आग्रह करने वालों को जानकारी देने के लिए नामित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव एवं ऊपर के स्तर के वरिष्ठा अधिकारियों को निर्दिष्ट विषय, जिससे वे जुडे हैं, के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी विनिर्दिष्ट किया गया है। विभाग में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल कार्यशील है जो ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दायर करने वाले को अपेक्षित सूचना प्रदान करता है।

***

अनुबंध – I
उत्पादवार संस्थोपित क्षमता एवं प्रमुख रसायनों का उत्पादन

(हजार एमटीमें)

प्रमुख समूह/उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि	
	2011-12	2012-13	2013-14	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. एल्कली केमिकल्स										
सोडा ऐश	2951.00	2951.00	2951.00	2058.34	2298.76	2410.82	2437.79	2392.17	1.1	-1.9
कास्टिक सोडा	3002.95	3052.40	3052.40	2237.62	2334.45	2408.73	2375.85	2391.66	-1.4	0.7
तरल क्लोरीन	2160.84	2125.38	2125.38	1533.81	1637.62	1658.08	1673.25	1697.33	0.9	1.4
कुल	**8114.79**	**8128.78**	**8128.78**	**5829.76**	**6270.82**	**6477.63**	**6486.89**	**6481.15**	**0.1**	**-0.1**
II. अकार्बनिक रसायन										
एल्यूमिनियम फ्लोराइड	18.16	18.16	18.16	11.55	9.80	7.31	6.70	5.40	-8.3	-19.5
कैलशियम कार्बाइड	112.00	112.00	112.00	22.02	44.70	66.39	70.98	78.78	6.9	11.0
कार्बन ब्लैक	610.00	610.00	610.00	419.43	452.44	447.67	404.02	406.41	-9.8	0.6
पोटाशियम क्लोरेट	3.00	3.00	3.00	2.60	0.61	0.34	0.59	0.68	70.9	15.0
टिटेनियम डाइऑक्साइड	76.05	76.05	76.05	61.32	64.02	52.14	50.14	52.78	-3.8	5.3
लाल फास्फोरस	1.68	1.68	1.68	0.58	0.48	0.56	0.69	0.75	23.4	8.7
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	116.50	137.95	137.95	105.42	116.43	89.40	107.45	113.79	20.2	5.9
कैलशियम कार्बोनेट	253.34	229.34	219.34	196.33	209.65	217.20	232.18	233.12	6.9	0.4
कुल	**1190.73**	**1188.18**	**1178.18**	**819.26**	**898.12**	**881.01**	**872.75**	**891.70**	**-0.9**	**2.2**
III. कार्बनिक रसायन										
एसिटिक एसिड	387.38	272.58	272.58	146.44	156.48	160.73	160.56	157.17	-0.1	-2.1
एसिटिक एनहाइड्राइड	100.92	100.92	100.92	56.92	52.91	53.28	87.15	80.85	63.6	-7.2
एसिटोन	47.82	47.82	47.82	44.25	50.54	42.80	37.05	28.58	-13.4	-22.9
फिनोल	77.13	77.13	77.13	71.59	79.81	65.93	59.92	46.39	-9.1	-22.6
मेथनोल	496.41	496.41	496.41	330.83	374.53	359.93	254.91	307.26	-29.2	20.5
फोरमेल्डीहाइड	423.29	448.79	448.79	261.29	266.61	263.80	275.36	268.29	4.4	-2.6
नाइट्रोबेंजीन	76.80	76.80	76.80	63.41	72.41	74.46	83.70	76.51	12.4	-8.6
मेलिक एनहाइड्राइड	23.15	23.15	23.15	2.55	2.76	2.63	2.48	2.92	-5.6	17.4
पेंटा एरीथ्रीटोल	21.70	22.00	22.00	11.21	11.73	11.40	11.49	12.18	0.8	5.9
एनीलीन	60.10	60.10	60.10	39.39	41.05	40.09	48.23	40.62	20.3	-15.8
क्लोरो मेथेंस	207.85	211.75	211.75	134.79	161.35	188.55	197.74	214.03	4.9	8.2
आइसोब्यूटाइल	3.75	3.75	3.75	4.07	2.27	1.94	6.63	6.08	241.5	-8.4
ओएनसीबी	30.00	30.00	30.00	15.44	16.69	13.74	15.41	16.82	12.2	9.1
पीएनसीबी	30.00	30.00	30.00	23.57	24.87	22.14	24.40	27.06	10.2	10.9
मेक्स	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	2.19	2.49	3.72	13.8	49.1
एसिटाल्डीहाइड	183.51	183.51	183.51	59.82	32.26	65.39	76.27	79.66	16.6	4.4
इथालोलेमाइन्स	10.00	10.00	10.00	7.00	3.45	8.73	7.05	11.20	-19.2	58.8

प्रमुख समूह/उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि	
	2011-12	2012-13	2013-14	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
IV. पेस्टीसाइड्स एवं एंसेक्टीसाइड्स										
उत्पाद										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ओर्स्थो नाइट्रो टोल्यूईन	16.40	16.40	16.40	13.80	14.20	11.14	10.68	12.31	-4.1	15.3
कुल	**2622.54**	**2538.79**	**2539.39**	**1447.96**	**1550.12**	**1640.03**	**1686.48**	**1792.34**	**2.8**	**6.3**
डीडीटी	6.34	6.34	6.34	3.61	3.19	3.64	3.87	2.79	6.4	-28.0
मेलाथियॉन	3.80	3.80	3.80	1.67	3.05	2.55	1.71	2.04	-33.0	19.3
डाइमीथोएट	6.37	6.37	6.37	0.98	1.17	0.73	0.81	1.36	10.7	69.1
डीडीवीपी	3.68	3.68	10.68	3.87	3.48	4.64	4.41	5.52	-5.1	25.2
क्वीनलफोस	2.80	2.80	2.80	0.99	1.01	1.00	1.35	1.74	34.7	29.3
मोनोक्रोटोफोस	12.84	12.84	12.24	5.74	9.93	9.59	8.25	4.27	-14.0	-48.2
फोस्फामिडोन	3.20	3.20	3.20	1.00	0.29	0.06	0.02	0.05	-74.1	200.0
फोरेट	7.10	7.10	8.10	7.12	7.67	7.01	5.75	6.85	-18.0	19.2
इथीयोन	4.02	4.02	4.02	1.51	1.92	1.33	0.94	1.51	-29.7	61.8
इंडोसल्फान	12.39	0.00	0.00	9.90	11.49	1.35	0.00	0.00		
फेनवेलीरेट	2.44	2.10	2.10	0.55	0.81	0.55	0.48	0.75	-12.4	56.8
सिपरमेथरिन	12.89	13.29	14.49	8.70	7.02	10.16	7.53	9.01	-25.9	19.6
एसिफेट	11.86	11.86	16.58	14.90	16.49	17.11	15.76	14.51	-7.9	-8.0
क्लोरपाइरीफोस	36.34	36.10	34.20	9.31	8.72	6.05	7.52	9.54	24.3	26.9
ट्रियाजोफोस	2.00	1.50	1.50	1.06	1.75	0.78	0.93	0.99	18.8	6.8
टेमीफोस	0.50	0.50	0.25	0.08	0.12	0.13	0.20	0.25	55.0	23.2
डेल्टामिथरिन	0.45	0.49	0.53	0.02	0.52	0.33	0.42	0.38	29.1	-9.2
एल्फामिथरिन	0.33	0.33	0.35	0.00	0.31	0.32	0.32	0.31	-0.9	-1.6
प्रिफेनेफोस टेक्नीकल	11.85	12.85	14.60	3.28	4.60	6.41	5.01	7.18	-21.9	43.3
प्रीटीलेकर टेक्नीकल	1.40	1.40	2.84	1.17	1.18	1.65	1.93	2.22	16.8	14.9
लैम्बडेसाइलोथ्रन			0.60	0.13	0.21	0.29	0.43	0.55	48.4	27.9
फेन्थोएट	0.90	0.90	0.90	0.06	0.59	0.59	0.96	1.24	62.8	29.1
परमेथ्रिन टेक	1.20	2.04	1.80	0.24	0.46	1.17	0.83	1.14	-28.6	36.3
इमीडेकेलोप्रिड टेक	0.20	0.83	0.83	0.13	0.13	0.39	0.23	0.94	-42.1	315.4
केप्टेन और केपटाफोल	1.80	1.80	1.80	0.00	0.72	0.92	0.56	1.12	-39.4	99.6
जेराम (जियो बारबामेट)	0.45	0.45	0.65	0.14	0.66	0.73	0.55	0.60	-25.3	9.3
कारबिनडाजिम (बेविस्टिन)	1.41	1.12	1.12	0.38	0.59	0.43	0.34	0.31	-21.3	-9.7
मेनकोजेब	42.76	69.76	71.56	31.49	26.05	43.46	45.30	57.82	4.2	27.7
हेक्साकॉन्जोल	0.50	0.50	0.50	0.35	0.36	0.39	0.36	0.50	-6.7	37.2
मेटकॉन्जोल	0.75	0.75	0.75	0.21	0.36	0.50	0.63	0.70	25.0	12.3
2,4 डी	24.20	22.00	22.00	10.64	12.60	15.03	15.44	17.90	2.7	16.0
बूटाक्लोर	0.50	0.50	0.50	0.24	0.29	0.20	0.18	0.04	-8.0	-78.7

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि	
	2011-12	2012-13	2013-14	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
इथोफेमेसेट	1.65	1.25	1.65	0.56	0.82	1.14	1.22	1.01	7.1	-16.7
थाइमोथॉक्सम	3.00	3.00	3.00	1.82	1.49	1.63	3.12	3.31	90.8	6.2
पेन्डीमेथेलिन	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.71		65.1
मेट्रेब्यूजिन	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.24	0.74		204.1
ट्राइक्लोपेयर एसिड टेक	0.36	0.30	0.30	0.23	0.30	0.10	0.21	0.20	102.0	-2.9
आइसोप्रोटयूरोन	6.25	6.25	6.25	2.91	3.68	2.53	4.05	2.35	60.3	-42.1
ग्लाफोसेट	9.26	9.26	9.26	4.66	4.86	5.25	6.12	8.48	16.5	38.5
डियूरोन	0.05	0.05	0.05	0.13	0.23	0.31	0.14	0.07	-55.7	-49.3
एट्राजिन	0.50	0.50	0.50	0.26	0.25	0.66	0.65	1.24	-1.4	89.7
जिंक फोसफाइड	1.10	1.10	1.32	0.92	0.86	0.89	0.60	0.65	-32.2	7.1
एल्यूमिनियम फोसफाइड	3.90	3.90	3.90	3.25	2.82	3.14	4.16	4.47	32.6	7.4
डाइकोफोल	0.15	0.15	0.15	0.02	0.05	0.08	0.05	0.07	-44.6	60.9
कुल	**245.49**	**259.73**	**277.13**	**134.21**	**143.05**	**155.22**	**154.57**	**178.41**	**-0.4**	**15.4**
V. रंजक एवं रंजक पदार्थ										
एजो डाईज	18.55	18.81	19.04	12.68	13.96	12.10	12.72	13.46	5.1	5.9
एसिड डाइरेक्ट डाईज (एजो से अलग)	45.08	45.08	45.08	15.34	20.36	19.00	17.58	19.00	-7.5	8.1
डिस्पर्स डाईज	55.21	55.21	55.21	25.22	28.72	29.44	28.26	29.21	-4.0	3.4
इंग्रेन डाईज	1.61	1.61	1.61	0.93	0.69	0.98	0.58	0.51	-41.0	-10.9
ऑयल साल्यूबल (सोलवेंट डाईज)	3.77	3.77	3.77	2.25	2.02	2.64	2.31	2.26	-12.4	-2.2
आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	22.30	37.30	37.30	12.36	15.02	14.14	18.17	23.74	28.5	30.6
आर्गेनिक पिंगमेंट	71.48	66.56	76.68	49.90	56.35	51.77	44.46	68.67	-14.1	54.5
पिंगमेंट इमलसन	5.53	5.53	5.53	5.04	5.89	5.22	6.48	7.34	24.1	13.3
रिएकटिव डाइज	157.96	158.12	158.42	73.20	76.88	83.38	87.60	95.42	5.1	8.9
सल्फर डाइज (सल्फर ब्लैक)	3.00	3.00	3.00	8.69	8.58	7.02	6.58	7.57	-6.3	15.0
वेट डाईज	2.98	2.98	2.98	1.70	1.94	1.69	1.38	1.60	-18.3	16.0
इनऑर्गेनिक पिगमेंट	10.92	10.92	11.08	12.23	13.93	13.06	13.14	14.18	0.6	7.9
अन्य डाईज	2.65	2.65	2.65	0.44	0.55	0.47	0.30	0.66	-35.9	120.5
कुल	401.04	411.54	422.35	219.98	244.87	240.88	239.53	283.60	-0.6	18.4
कुल प्रमुख रसायन (I से V)	**12574.59**	**12527.02**	**12545.83**	**8451.18**	**9106.98**	**9394.76**	**9440.23**	**9627.20**	**0.48**	**1.98**
नोट : कुछ कीटनाशी उत्पादक ईकाइयां संयुक्त रूप से संस्थापित क्षमता आपूर्ति करती है।										

अनुबंध – II

उत्पादवाद संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(हजार एमटीमें)

प्रमुख समूह/उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि	
	2011-12	2012-13	2013-14	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क : मूल प्रमुख रसायन										
I : सिन्थेटिक फाइबर्स/यार्न										
1. पॉलीमर्स फिलामेंट यार्न (एनएफवाई) ($)	2252	2363	2354	1562	1789	1834	1833	1776	-0.04	-3.11
2. नायलनॉन फिलामंट यार्न (एनआईवाई) ($$)	20	20	20	30	33	30	22	24	-27.79	10.85
3. नायलॉन इडस्ट्रियल यार्न (एनआईवाई) ($$)	61	61	61	99	97	97	95	104	-1.62	9.21
4. पोलीप्रोपाइलीन फिलामेंट यार्न (पीपीएफवाई) ($$)	8	8	8	9	6	7	6	6	-7.80	-8.15
उप योग यार्न (1+2+3+4)	**2341**	**2452**	**2443**	**1700**	**1925**	**1968**	**1957**	**1910**	**-0.57**	**-2.37**
5. एक्रीलिक फाइबर (ड्राई स्पन सहित) (एएफ)	95	107	107	91	76	76	75	94	-1.88	25.89
6. पालीयस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ)	1174	1174	1135	980	1037	953	974	1010	2.18	3.70
7. पॉलीप्राइलीन स्टेपल फाइबर (पीपीएसएफ)	5	31	31	3	4	4	8	23	97.62	185.61
8. पॉलीस्टर स्टेपल फाइबर (पीआईवाई)	72	72	81	54	53	49	51	56	5.30	10.50
9. पॉलीलस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई)	22	22	22	5	13	14	15	15	5.96	-3.23
कुल सिन्थेटिक फाइबर्स/यार्न	**3709**	**3858**	**3819**	**2835**	**3108**	**3065**	**3080**	**3109**	**0.51**	**0.94**
II : पॉलीमर्स										
1. लाइनर लॉं डेनिसिटी पॉलीइथाइलीन (एलएलडीपीई)	कोई अलग क्षमता नहीं			683	897	1033	1012	1037	-2.05	2.45
2. हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई)	कोई अलग क्षमता नहीं			856	887	1119	1177	1195	5.18	1.54
एलएलडीपीई/एचडीपीई (संयुक्त) ($$$)	**2735**	**2735**	**2735**	**1539**	**1784**	**2152**	**2189**	**2232**	**1.71**	**1.96**
3. लॉं डेनसिटी पॉलीइथाइलीन	160	160	160	193	179	194	187	190	-3.94	1.84
4. पॉलीस्ट्रीन (पीएस)	462	462	462	270	296	288	290	270	0.51	-6.73
5. पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)	2676	3116	3116	1617	1684	2209	2421	2648	9.61	9.37
6. पॉली विनायल क्लोराइड (पीवीसी)	1279	1279	1423	1110	1278	1296	1257	1367	-3.02	8.78
7. वितान योग्य पॉलीस्ट्रीन (ईएक्स–पीएस)	138	108	108	63	71	72	81	77	12.20	-4.27
कुल पॉलीमर्स	**7450**	**7860**	**8004**	**4791**	**5292**	**6211**	**6424**	**6784**	**3.42**	**5.61**

प्रमुख समूह/उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि	
	2011-12	2012-13	2013-14	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III : कुल पॉलीमर्स										
1. स्ट्रेरीन बुटाडीन रबर (एसबीआर)	14	10	130	19	12	9	8	12	-9.55	46.26
2. पॉली बुटाडीन रबर (पीबीआर)	74	74	74	73	76	79	77	81	-2.12	4.68
3. नाइट्रीलिन बुटाडीन रबर (एनबीआर)	25	25	25	13	6	0	0	1		
4. इथाइल विनायल एसीटेट (ईवीए)	23	23	23	0	11	12	11	11	-14.14	5.02
कुल सिन्थेटिक रबर	**136**	**132**	**252**	**106**	**105**	**100**	**96**	**105**	**-4.25**	**8.67**
IV : सिन्थेटिक डिटरजेंट मध्यवर्ती										
1. लिनियर एलेकेल बेंजीन (एलएबी)	532	547	547	464	475	454	455	406	0.27	-10.83
2. इथाइलीन ऑक्साइड (ईओ)	124	124	124	154	164	169	172	191	1.68	11.08
कुल सिन्थेटिक डिटरजेंट मध्यवर्ती	**656**	**671**	**671**	**618**	**638**	**623**	**627**	**597**	**0.65**	**-4.82**
V : परफोरमेंस प्लास्टिक										
1. एबीएस रेजीन	128	128	128	84	90	89	91	102	1.76	12.88
2. नायलोन–6 एवं नायलोन 66	20	20	23	18	21	18	19	20	4.91	5.72
3. पोलीमर मेथाक्रायलेट (पीएमएमए)	4	4	4	3	3	3	3	2	-13.07	-2.32
4. स्ट्रीन एक्रोलॉनिटिल (एसएएन)	96	96	96	72	82	77	80	88	3.58	9.31
5. पीईटी/पॉलीस्टर चिप्स	1105	1105	1105	728	732	671	696	555	3.76	-20.30
6. पीटीएफई (टेफलॉन)	20	20	20	2	6	9	6	6	-35.45	6.15
योग परफार्मेंस प्लास्टिक्स	**1373**	**1373**	**1376**	**906**	**934**	**867**	**894**	**773**	**3.12**	**-13.50**
योग प्रमुख पेट्रोरसायन										
(I+II+III+IV+V)	**13324**	**13894**	**14122**	**9255**	**10077**	**10866**	**11121**	**11368**	**2.35**	**2.22**
ख: मध्यवर्ती										
1. फाइबर मध्यवर्ती										
1. एक्रिलोनिट्रील (एसीएन)	41	41	41	39	38	38	33	37	-13.01	12.25
2. केप्रोलेक्टम	120	120	120	123	123	118	99	85	-16.59	-14.05
3. मानो इथाइल ग्लाइकोल (एमईजी)	1040	1040	1073	738	746	997	1061	1069	6.49	0.76

प्रमुख समूह/उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि	
	2011-12	2012-13	2013-14	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
3. प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक	3753	3753	3753	2985	3191	3308	3494	3477	5.63	-0.50
कुल फाइबर मध्यवर्ती	**4954**	**4954**	**4987**	**3886**	**4097**	**4461**	**4687**	**4668**	**5.07**	**-0.41**
II: बिल्डिंग ब्लाक्स										
ओलेफिन										
1. इथाइलीन	3783	3783	3783	2515	2665	3320	3315	3346	-0.15	0.96
2. प्रोपाइलीन	2886	3326	3368	1859	1930	2528	2655	2897	5.04	9.08
3. बुटाडायन	295	295	433	205	242	250	235	236	-5.78	0.16
कुल ओलेफिन	**6964**	**7404**	**7584**	**4580**	**4837**	**6097**	**6205**	**6478**	**1.77**	**4.41**
एरोमेटिकस										
1. बेंजीन	1282	1283	1283	823	945	1002	1048	1031	6.06	-1.68
2. टोलीन	258	258	258	137	128	132	108	120	-17.94	11.09
3. मिश्रित	891	891	898	176	125	207	200	248	-3.30	23.79
4. ऑर्थो जायलीन	420	420	420	358	400	390	444	412	14.08	-7.21
5. पैराक्साइलीन	2218	2218	2218	2223	2137	2394	2360	2264	-1.44	-4.07
योग एरोमेटिक्स	**5069**	**5070**	**5077**	**3716**	**3736**	**4125**	**4161**	**4075**	**0.87**	**-2.07**
ग: अन्य पेट्रो अधारित रसायन										
1. बुटानोल	**	26	26	8	18	22	14	5	-35.05	-61.94
2. सी4–रिफाईनेट	262	262	262	65	71	209	395	393	88.72	-0.64
3. डाइसोटोन ग्यालकोल	72	72	76	69	73	99	103	107	4.40	3.66
4. डाइसोटोन अल्कोहल	9	9	9	9	4	5	3	0	-41.62	-100.00
5. इथीलीन डाइक्लोराइड (उप–उत्पाद)	593	593	593	445	454	435	316	278	-27.28	-12.14
6. 2–इथाइल हेक्सोनॉल**	25	55	55	16	29	49	50	20	1.65	-59.44
7. इपीक्लारोडाइन	10	10	0	7	8	9	11	0	24.75	-100.00
8. आइसोब्यूटोनॉल	**	3	3	3	3	2	2	1	-2.54	-67.02
9. आईसोप्रोनॉल (आईपीए)	70	70	70	62	67	71	70	76	-1.05	7.93
10. मिथाइल मेथाक्रायलेट (एमएमए)	4	4	4	5	5	4	3	3	-27.32	3.63
11. पीथेलिक अनहाइड्रेड (पीएएन)	309	309	362	232	253	250	254	264	1.96	3.65
12. प्रोपाइलिन ऑक्साइड (पीओ)	27	27	27	32	32	35	30	33	-14.41	12.05
13. प्रोपइलिन ग्लायकोल (पीजी)	15	15	15	19	17	19	15	14	-22.37	-7.10
14. पॉलीविनाइल एसिटेट रेसिन	0	0	0	4	2	0	0	0	-	-

15. विनायल एसीटेट मोनोमर (वीएएम)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
प्रमुख समूह/उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि	
	2011-12	2012-13	2013-14	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
16. विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) (उप उतपाद)	541	541	541	674	672	689	669	735	-2.95	9.95
17. पोलयोल	70	70	70	31	31	41	42	40	2.68	-4.96
कुल	**2007**	**2066**	**2113**	**1679**	**1739**	**1940**	**1979**	**1970**	**1.99**	**-0.46**

($) : सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के रूप में ब्राडबैंडिंग के अधीन पीएफवाई, एनएफवाई, एवं एनआईवाई एवं पीपीएफवाई का उत्पाद करने वाली सभी ईकाइयों की संयुक्त क्षमता

($$) : एनआईवाई और पीपीएफवाई का उत्पादन करने वाली सभी ईकाइयों की स्वतंत्र क्षमता।
चूंकि इन उत्पादों की क्षमता को भी सिंथेटिक, फिलामेंट यार्न में क्षमता में शामिल किया गया है और क्षमता के उपयोग की गणना नहीं की गई है।

($$$) एलएलडीपीई एवं एचडीपीई दोनों का उत्पादन करने की संयुक्त क्षमता अतः उपयोग की गणना नहीं की सकती है। तथापि, उत्पादन स्वतंत्र है।

***: 2–ईएच के अधीन 2–ईएच, ब्यूटोनॉल एवं आइसो ब्यूटोनॉल की संयुक्त क्षमता।

अनुबंध–III

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उत्तम	खराब		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
						100%	90%	80%	70%	60%				
1 रसायन क्षेत्र के विकास के लिए सुविधा प्रदान करना	14.0	राष्ट्रीय रसायन नीति को अंतिम रूप देना और जारी करना	प्रारूप नीति मंत्रिमंडल को अनुमोदन के लिए भेजना (अन्य संबंधित विभागों में समझौते के अनुसार	दिनांक	2.00	31.01.2014	05.02.2014	10.02.2014	20.02.2014	28.02.2014		लागू नहीं	लागू नहीं	
		प्रौद्योगिकी उन्नयन नीति स्थापित करना	प्रस्ताव्य योजना आयोग को पुनः प्रस्तुत करना	दिनांक	1.50	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	31.01.2014	100.0	1.5	31.01.2014
		रसायन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली के विकास के लिए कार्रवाई	एनएसीडब्ल्यू , आईसीसी, एफआईसीसीआई, सीआईआई आदि के सहयोग से आधार प्रारूप कागजात तैयार करना		0.60	30.09.2013	15.10.2013	31.10.2013	15.11.2013	30.11.2013	30.09.2013	100.0	0.6	30.09.2013
			प्रारूप सुरक्षा मूल्यांकन कागजात पर स्टेकधारियों के विचार मांगना	दिनांक	0.60	31.10.2013	15.11.2013	30.11.2013	15.12.2013	31.12.2013	31.10.2013	100.0	0.5	31.10.2013
			मूल्यांकन प्रणाली पर बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित करना	दिनांक	0.50	30.11.2013	15.12.2013	31.12.2013	15.01.2014	31.01.2014	10.01.2014	73.33	0.37	10.01.2014
			दिशा निर्देश प्रस्तुत करना	दिनांक	0.50	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	31.01.2014	100.0	0.5	30.01.2014
		रसायन क्षेत्र में कुशल प्रबंधन मुद्दों को निपटाने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु कार्रवाई	रसायन क्षेत्रों और उनके प्रशिक्षण तथा कुशल विकास आवश्यकताओं को चिन्हित करना	दिनांक	1.00	01.01.2014	15.01.2014	01.02.2014	15.02.2014	28.02.2014	01.01.2014	100.0	1.0	01.01.2014
			कुशल प्रबंधन मुद्दों को निपटाने के लिए एक संकल्पना कागजात तैयार करना	दिनांक	1.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	30.01.2014	100.	1.0	30.01.2014
		इंडिया केम गुजरात 2013 के लिए समन्वय	कंपनियों द्वारा प्रतिभागिता	संख्या	0.60	120	110	100	90	80	122	100.0	0.6	122
			प्रदर्शनी में देशों द्वारा प्रतिभागिता	संख्या	0.60	12	10	8	6	4	14	100.0	0.6	14

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	उत्तम 70%	खराब 60%		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
			उद्योग प्रासंगिक विषयों में स्टेकधारकों की निकट प्रतिभागिता से समवर्ती कार्यक्रमों/सम्मेलन सत्रों का आयोजन करना	संख्या	0.80	5	4	3	2	1	5	100.0	0.8	5
			प्रतिभागियों से फीडबैक के संग्रह के लिए कार्रवाई/सफलता सूचक	% (>)	0.60	90	80	70	60	50	85	95.0	0.57	85
		डीडीटी के विकल्प पर अध्ययन	अध्ययन पर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना	दिनांक	1.20	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	21.01.2014	100.0	1.2	21.01.2014
		भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना	संख्या	1.00	4	3	2	1	0	4	100.0	1.0	4
		वाणिज्यिक महत्व के मामलें, जैसे पाटनरोधी ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी प्रचारित करना, को अन्य मंत्रालयों के साथ उठाना	तत्परता से फॉलोअप	प्रस्तावना की प्राप्ति से दिन	0.50	15	21	28	35	42	21	90.0	0.45	21
		रोटर्ड डेम समझौते के अधीन उत्तरदायित्वों के संबंध में उद्योग को सुग्राही बनाना	दो कार्यशालाएं आयोजित करना	संख्या	0.60	2	1				2	100.0	0.6	2
		स्टोक होम समझौते के अंतर्गत उत्तरदायित्वों के संबंध में उद्योग को सुग्राही बनाना	दो कार्यशालाएं आयोजित करना	संख्या	0.60	2	1				2	100.0	0.6	2
2 असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन	12.0	परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति	व्यापार योजना के प्रतिशत के रूप में संचयी पूंजी व्यय के आधार पर वित्तिय प्रगति	%	4.00	90	85	80	70	60	40	0.0	0.0	66.44
			यांत्रिकीय पूर्ती	दिनांक	2.00	31.07.2013	31.08.2013	30.09.2013	31.10.2013	30.11.2013		लागू नहीं	लागू नहीं	

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	उत्तम 70%	खराब 60%		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
			प्रारम्भ होना	दिनांक	2.00	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014		लागू नहीं	लागू नहीं	30.09.2014
		समय पर वित्तिय जारी करना सुनिश्चित करना	पूंजी सब्सिडी जारी करना	दिनांक	1.00	30.09.2013	15.01.2013	31.10.2013	15.11.2013	30.11.2013	26.04.2013	100.0	1.0	26.04.2013
		अनुसूची के अनुसार परियोजना की प्रभावी निगरानी	अन्तर–मंत्रालीय विशेषज्ञ समीति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना	दिनांक	1.50	30.09.2013	15.10.2013	31.10.2013	15.11.2013	30.11.2013	30.09.2013	100.0	1.5	30.09.2013
			परियोजना कार्यान्वयन निगरानी व समीक्षा के लिए बैठकें	संख्या	1.50	6	5	4	3	2	9	100.0	1.5	9
3. सिपेट के माध्यम से डाउनस्ट्रीम उद्योगों में मानव संसाधन विकास को सुविधा प्रदान करना	12.0	पिछले वर्ष की संगत अवधि में सिपेट की सेवाओं का विस्तार	पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों की संख्या में वृद्धि	%	2.00	10	8	6	4	2	8.6	93.0	1.86	8.6
			राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा दिये अनुसार कौशल विकास के लिए लक्ष्य की उपलब्धि	संख्या (>)	2.00	38940	38055	37170	36285	35400	39992	100.0	2.0	39992
			पिछले वर्ष की तुलना में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं से राजस्व में वृद्धि	लाख रु. में	1.50	150	120	100	80	60	671	100.0	1.5	671
			पिछले वर्ष की तुलना में एआरएसटीपीएस और एलएआरपीएम के उत्पादन में वृद्धि (प्रकाशित अथवा प्रस्तुत किए गए कागजात से लिए गए कार्य)	संख्या	1.50	11	9	7	5	3	21	100.0	1.5	21
		सिपेट को इसकी अवसरंचना के विस्तार तथा तकनिकी क्षमताओं को बेहतर करने के लिए वित्तिय सहायता	योजना निधियां (बीई) का जारी करना	दिनांक	3.00	01.03.2014	08.03.2014	15.03.2014	22.03.2014	28.03.2014	26.02.2014	100.0	3.0	26.02.2014

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	उत्तम 70%	खराब 60%		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
		सिपेट को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करना	अन्य स्टेकधारियों के परामर्श से प्रारूप विधेयक की समीक्षा	दिनांक	1.00	31.10.2013	15.11.2013	30.11.2013	15.12.2013	31.12.2013	30.10.2013	100.0	1.0	30.10.2013
			प्रारूप विधेयक के सहित मंत्रिमंडल के लिए अंतिम नोट प्रस्तुत करना	दिनांक	1.00	01.02.2014	15.02.2014	01.03.2014	15.03.2014	31.03.2014	22.01.2014	100.0	1.0	22.01.2014
4. पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश और वृद्धि को संवर्धित करना	11.0	पीसीपीआईआर की निगरानी	समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद तमिलनाडु द्वारा प्रबंधन बोर्ड का गठन	हस्ताक्षर के बाद महीनों की संख्या	1.20	6	7	8	9	10		लागू नहीं	लागू नहीं	
			एपी पीसीपीआईआर के संबंध में प्रारूप ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करना	दिनांक	1.10	30.09.2013	31.10.2013	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014		लागू नहीं	लागू नहीं	30.09.2013
			एपी पीसीपीआईआर के संबंध में प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करना	दिनांक	1.10	30.09.2013	31.10.2013	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	05.08.2013	100.0	1.1	05.08.2013
			ओडिसा पीसीपीआईआर के संबंध में ईआईए के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देना	दिनांक	1.10	01.10.2013	15.11.2013	30.11.2013	15.12.2013	31.12.2013		लागू नहीं	लागू नहीं	
		पीसीपीआईआर का संवर्धन	पीसीपीआईआर को संवर्धित करने के लिए रोड़ शो	संख्या	2.20	4	3	2	1	0	4	100.0	2.2	4
		पीसीपीआईआर का स्वतंत्र मूल्यांकन	एक पीसीपीआईआर के मूल्यांकन कार्य को पूरा करना	दिनांक	1.00	10.02.2014	28.02.2014	10.03.2014	20.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	60.0	0.6	31.03.2014
		अन्य 3 संबंधित मंत्रालयों के साथ पाटनरोधी और सेफगार्ड शुल्कर लगाने जैसे मामलों को उठाना	तत्परता से फोलोअप	प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद दिन	1.10	15	21	28	35	42	15	100.0	1.1	15
		पॉलीइंडिया– 2013 की व्यवस्था	पॉलीइंडिया 2013 की तुलना में राज्य सरकारों द्वारा भाग लेने में वृद्धि	%	1.10	50	40	30	20	10	100	100.0	1.1	100
			पॉलीइंडिया 2011 की तुलना में सृजित व्यापार में वृद्धि	%	1.10	50	40	30	20	10	11	61.0	0.67	11

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उत्तम	खराब		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
						100%	90%	80%	70%	60%				
5 रसायनिक आयु/ अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) का अनुपालन	12.0	राष्ट्रीय प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी घोषणा का समय पर प्रस्तुतीकरण	राष्ट्रीय प्राधिकरणों (ईडीएनए) के लिए इलैक्ट्रॉनिक घोषणा साधनों के अद्यतन रूपांतर में संभावित गतिविधियों की वार्षिक घोषणा (एडीपीए) का इलैक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.40	05.10.2013	10.10.2013	15.10.2013	20.10.2013	23.10.2013	30.08.2013	100.0	1.4	30.08.2013
			ईडीएनए के अद्यतन रूपांतर में पूर्ववर्ती गतिविधियों की वार्षिक घोषणा (एडीपीए) का इलैक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.40	05.03.2014	10.03.2014	15.03.2014	20.03.2014	23.03.2014	20.02.2014	100.0	1.4	20.02.2014
			रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (राष्ट्रीय प्राधिकरण, सीडब्ल्यूसीपीसी से सूचना पर) द्वारा हल की गई विसंगतियों (चेतावनियों और त्रुटियों की सृजत प्रणाली सहित) का प्रतिशत	%	1.00	85	80	75	70	65	85	100.0	1.0	85
			(राष्ट्रीय प्राधिकरण, सीडब्ल्यूसी की सूचना के अनुसार सुलझाई जाने वाली विसंगतियों के लिए दिनों की औसत संख्या)	संख्या	1.00	3	4	5	6	7	3	100.0	1.0	2
		सीडब्ल्यूसी पर जागरुकता का प्रसार करना	उद्योग के लिए सीडब्ल्यूसी पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना	संख्या	1.80	15	12	10	8	6	12	90.0	1.62	12
			उद्योग के लिए सीडब्ल्यूसी पर जागरुकता कार्यक्रम का स्तर ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण करना	दिनांक	1.80	31.12.2013	15.01.2014	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	30.12.2013	100.0	1.8	30.12.2013
		सीडब्ल्यूसी के अनुपालन में उद्योग का सहयोग	सीडब्ल्यूसी हेल्पडेस्का की समीक्षा	संख्या	0.90	6	5	4	3	2	5	90.0	0.81	5

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	उत्तम 70%	खराब 60%		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
			हेल्पडेस्कों द्वारा 10 दिन के अन्द र उद्योग द्वारा पूछताछ को दस दिनों के भीतर निपटाना	%	0.90	90	80	70	60	50	90	100.0	0.9	90
		सीडब्ल्यूसी (संशोधन) अधिनियम 2012 के अंतर्गत पंजीकरण और पात्रता मानदंडों के लिए नियम बनाना	नियमों की अधिसूचना का जारी किया जाना	दिनांक	1.80	01.03.2014	08.03.2014	15.03.2014	22.03.2014	31.03.2014	12.03.2014	84.29	1.52	12.03.2014
6. पेट्रोरसायनों पर राष्ट्रीय नीति का संचालन	10.0	पेट्रोरसायन की नई स्कीम का कार्यान्वयन	2013–14 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का चयन	दिनांक	2.00	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	30.12.2013	100.0	2.0	30.12.2013
			11वीं योजना के (दो) सीओई के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	दिनांक	2.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	15.02.2.014	90.0	1.8	18.02.2014
			12वीं योजना में स्थापित किए जा रहे तीन नए उत्कृष्टता केंद्रों की प्रगति का मूल्यांकन तथा निधियों की अगली किस्त जारी करना	दिनांक	2.00	15.02.2014	28.02.2014	10.03.2014	20.03.2014	31.03.2014	15.02.2014	100.0	2.0	20.02.2013
			असम, मध्यप्रदेश, ओडिसा और तमिलनाडु में चार प्लास्टिक्स पार्कों के लिए निधियों की पहली किस्त जारी करना	संख्या	2.00	4	3	2	1	0	3	90.0	1.8	3
		प्लास्टिक्स प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनरू चक्रण प्रौद्योगिकी संबंधी संर्वद्धनात्मक कार्यक्रम	सीपीपीसी के समर्थन से जागरूकता कार्यक्रम कार्यशाला सम्मेलन का आयोजन	संख्या	2.00	4	3	2	1	0	14	100.0	2.0	14
7. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के पुनर्वास उपायों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय	9.00	अनुग्रह राशि का संवितरण	कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा 30.09.2013 तक चिन्हित किए गए पात्र पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण	%	3.00	90	88	85	82	80	84	76.67	2.3	84
			कल्याण आयुक्ति के कार्यालय के रिकार्ड का डिजिटाइजेशन कमिशनर	मामलों की संख्या अंकित	2.00	400000	350000	300000	250000	200000	400000	100.0	2.0	4

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	उत्तम 70%	खराब 60%		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
			कल्याण आयुक्त एवं मध्यप्रदेश सरकार के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना	बैठकों की संख्या	2.00	4	3	2	1	0	3	90.0	1.8	3
		अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार पिड़ितों के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन	योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी गई धनराशि का उपयोग	%	2.00	60	55	50	45	40	47	74.0	1.48	47
8. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लि. (एचओसीएल) के कार्यनिष्पादन को सुधारना	1.25	एचओसीएल के पुर्नद्धार/पुर्नगठन के लिए एक अध्ययन शुरू करना	कंपनी के पुर्नद्धार/पुर्नगठन के लिए एक अध्ययन शुरू करना	दिनांक	0.40	31.07.2013	15.08.2013	31.08.2013	15.09.2013	30.09.2013	29.05.2013	100.0	0.4	29.05.2013
			अध्ययन की सिफारिश की जांच करना और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना	दिनांक	0.40	15.11.2013	30.11.2013	15.12.2013	31.12.2013	15.01.2014	14.11.2013	100.0	0.4	14.11.2013
			अनुमोदित मदों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए मामले को संबंधित संगठन/विभाग के साथ उठाना	दिनांक	0.45	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	20.01.2014	100.0	0.45	20.01.2014
9. हिन्दुस्तान इंस्टीसाइड लि. (एचआईएल) के कार्य निष्पादन में सुधार	1.00	एमओयू के अंतर्गत कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा	एमओयू के लक्ष्यों के संबंध में पीएसयू के लक्ष्यों का निरीक्षण और निगरानी	डीपीई (>) के अनुसार समझौता ज्ञापन का कम्पोजिट स्कोर	1.00	1	1.5	2.5	3.5	4.5	1.38	92.4	0.92	138
10. आईपीएफटी के प्रभाविकता में सुधार करना	1.00	सेवाओं में सुधार व सुदृढ़ीकरण	पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व में प्रतिशत वृद्धि	%	1.00	20	18	15	10	5	20	100.0	1.0	20
11. रसायनों के लिए प्रोत्साहनों/हतोत्साहित के साथ एक नवोन्मेनषण रूपरेखा विकसित करना	1.00	निस्सार उत्सर्जनों को कम करने के लिए ऊर्जा और सामग्री कुशल प्रौद्योगिकियों की पहचान करना	निस्सारों और उत्सर्जनों को कम करने के लिए ऊर्जा और सामग्री कुशल प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए अध्ययन पूर्ण करना	दिनांक	1.00	15.02.2014	01.03.2014	10.03.2014	20.03.2014	31.03.2014	14.02.2014	100.0	1.0	14.02.2014

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	उत्तम 70%	खराब 60%		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
12. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लि. (एचएफएल) के कार्य निष्पादन में सुधार	0.75	समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा	समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के अंतर्गत पीएसयू के लक्ष्यों का निरीक्षण और निगरानी	डीपीई (ज्ञ) के अनुसार समझौता ज्ञापन का कम्पोजिट स्कोर	0.75	1	1.5	2.5	3.5	4.5	4.12	63.8	0.48	4.12
* आरएफडी प्रणाली के कामकाज को दक्षतापूर्ण बनाना	3.0	अनुमोदन के लिए प्रारूप आरएफडी 2014–15 को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	2.00	05.03.2014	06.03.2014	07.03.2014	08.03.2014	11.03.2014	05.03.2014	100.0	2.0	05.03.2014
		2012–13 के लिए परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	1.00	01.05.2013	02.05.2013	03.05.2013	06.05.2013	07.05.2013	01.05.2013	100.0	1.0	01.05.2013
* पारदर्शिता सेवा प्रदत्तर मंत्रालयविभाग	3.0	सिटीजन क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा –परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2	100	95	90	85	80		लागू नहीं	लागू नहीं	
		सार्वजनिक शिकायत निपटान तंत्र की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2	100	95	90	85	80		लागू नहीं	लागू नहीं	
		लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	1.0	100	95	90	85	80	100	100.0	1.0	100
		स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार आईएसओ 9001 को क्रियान्विआत करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.00	100	95	90	85	80	100	100.0	2.0	100
		नवोन्मेषिण कार्ययोजना, आईएपी को कार्यान्वित करना	प्राप्त लक्ष्यों का प्रतिशत	%	2.00	100	95	90	85	80	100	100.0	2.0	100
		दूसरी एआरसी सिफारिश के अनुसार मंत्रालय / विभाग की महत्व पूर्ण और गैर महत्वरपूर्ण कार्यकलापों की पहचान	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	1.0	27.01.2014	28.01.2014	29.01.2014	30.01.2014	31.01.2014	27.01.2014	100.0	1.0	27.01.2014

कार्य निष्पादन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (2013–14)

लक्ष्य	वजन	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	प्रदर्शन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	उत्तम 70%	खराब 60%		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा अनुमोदित
* आतंरिक कुशलताजवाबदेही में सुधार करना	2.00	12वीं योजना की प्राथमिकताओं के साथ श्रेणीबद्ध होने के लिए विभागीय नीति को अद्यतन बनाना	नीति का समय पर उन्नयन	दिनांक	2	10.09.2013	17.09.2013	24.09.2013	01.10.2013	08.10.2013	10.09.2013	100.0	2.0	10.09.2013
* वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यसरंचना के लिए अनुपालन सुनिश्चित करना	1.00	सीएंडएजी के ऑडिट पैरा पर एटीएन समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से नियत तिथि, 4 माह के भीतर एटीएन प्रस्तुतीकरण की प्रतिशतता	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से नियत तिथि, 6 माह के भीतर एटीएन प्रस्तुतीकरण की प्रतिशतता	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		संसद में 31.3.2012 से पूर्व प्रस्तुवत सीएंडएजी रिपोर्ट के लेखा परीक्षा अनुच्छेदों पर लंबित कृत कार्रवाई नोट का शीघ्र निपटारा	वर्ष के दौरान लंबित एटीएन को निपटाने की प्रतिशतता	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		संसद में 31.3.2012 को 12 से पूर्व प्रस्तुत पीएसी रिपोर्ट पर लंबित कृत कार्रवाई रिपोर्ट का शीघ्र निपटारा	वर्ष के दौरान लंबित एटीआर को निपटाने की प्रतिशतता	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100

● अनिवार्य लक्ष्य

कुल कंपोजिट स्कोर : 79.7
पीएमडी कंपोजिट : 81.31

अनुबंध–IV

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का संगठनात्मक चार्ट
(13.02.2015 की स्थिति के अनुसार)

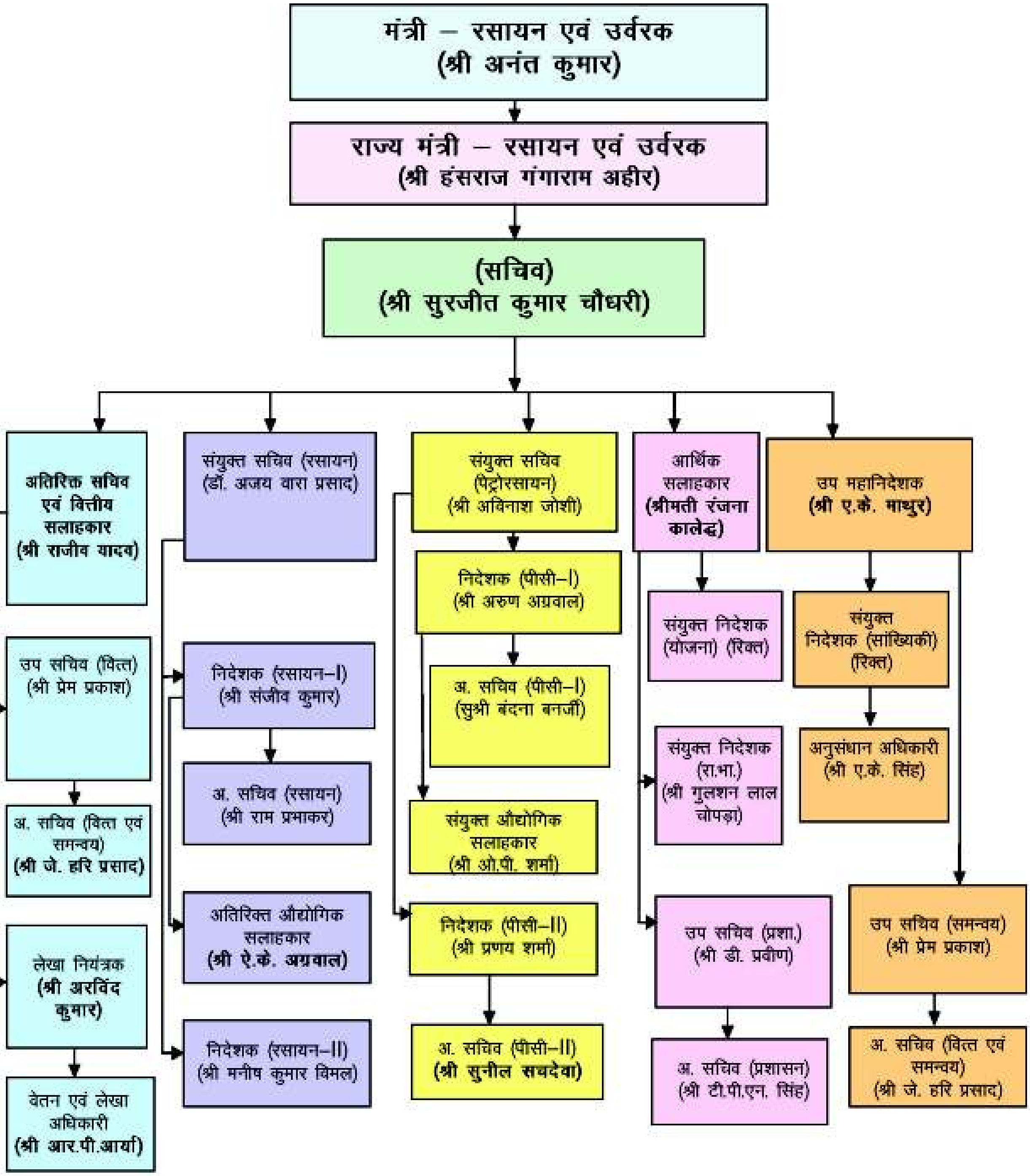

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली-**110001**
बेवसाइड : www.chemicals.gov.in
सुविधा काउंटर : 91-11-23384317